[Mr. Speaker]

up, and the hon. Member knows what Bill is before the House. Whatever nomenclature is used should not matter.

Shri Nand Lal Sharma: There is no Bill by name, the Hindu Special Marriage Bill.

Mr. Speaker: There is no point of order in that.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Defence (Shri Jawaharlal Nehru): I am perfectly prepared to correct myself at the hon. Member's suggestion.

FOOD ADULTERATION BILL

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill to make provision for the prevention of adulteration of food, as reported by the Select Committee.

The Minister of Health (Rajkumari Amrit Kaur): I beg to move*:

> "That the Bill to make provision for the prevention of adulteration of food, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair.*]

I only want to say in a very few words, how glad I am that at long last, this Bill has come to the passing stage, and I hope it will be passed this morning by the Lok Sabha.

This was introduced in November 1952. It was referred to a select committee, which presented its report on 14th February 1953, and for a whole year and four months, it has lain without having an opportunity to come before this House. I much regret this fact because it is extremely essential that this Bill should, as quickly as possible, become law. The States are very anxious for it, because their laws are not strong enough to deal with the situation.

I, therefore, hope that the House will go through the amendments of the hon. Members, as also my own amendments as quickly as possible. I regret that because the amendments did not come to me before Saturday evening till very late, I was not able to consider them and give my own amendments before this morning. But the amendments really do not amount to very much, and the Bill was so thoroughly examined in the select committee, that I hope there will be no difficulty in getting it through.

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill to make provision for the prevention of adulteration of food, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड) : यह जो बिल आज हाउस के सामने मंत्री महोदया ने रक्खा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है । जैसा कि अभी उन्होंने फरमाया और उसके साथ साथ थोड़ा अफसोस भी जाहिर किया कि यह बिल १९५२ के अन्दर इस हाउस में प्रस्तुत हुआ था, मगर सन् १९५३ की फरवरी में भी जब कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हुई उसके बाद भी इस हाउस में डेढ साल तक यह बिल नहीं आया । इससे मैं यह समझता हूं कि शायद मंत्री महोदया यह समझती होंगी कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है । मैं उन चीजों को आज फिर दुहराना नहीं चाहता जो चीजें हाउस में उस वक्त कही थीं जिस वक्त कि यह बिल कंसिडरेशन स्टेज में था मगर यह मिलावट का रोग जिस तरह से सारे देश भर में फैला हुआ है उसके लिहाज से यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल सेलेक्ट कमेटी से होकर इस हाउस में आया है । मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल अब कहीं ज्यादा अच्छा बन गया है । पहले इसके अन्दर कई खामियां

*Moved with the recommendation of the President.

थीं, अब बहुत सी खामियों को दूर कर दिया गया हैं । मेरे लायक दोस्त मिस्टर मुकर्जी और मिस्टर रामा राव ने मिनट आफ डिस्सेंट भी पेश किया हैं जिसमें उन्होंने एक बात जाहिर की हैं कि जो बिल के पैनेल क्लाजेज हैं, उन को थोड़ा कम कर दिया जाय । उन्होंने इससे मुखालफत जाहिर की हैं कि अगर पहली दफा जुर्म हो तो एक साल की सजा हो और दूसरी दफा जुर्म करें तो दो साल की सजा हो और तीसरी दफा जुर्म करें तो चार साल की सजा हो । इन पैनेल क्लाजेज के मुताल्लिक अपनी मुख्तलिफ राय जाहिर की हैं, मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं, मैं समझता हूं कि जिस किस्म से सेलेक्ट कमेटी ने अपनी राय जाहिर की हैं, उसके लिहाज से यह बिल बहुत ठीक हैं । मेरे लायक दोस्त श्री रामास्वामी या एक दो मेम्बर साहबान ने कुछ अमेंडमेंट्स भी पेश किये हैं और उन अमेंडमेंट्स में उन्होंने यह बताया हैं कि जो सजा इस मिलावट को रोकने के लिये इस बिल में प्रोवाइड की गई हैं वह सजा बहुत कम हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जब कि इस मिलावट का रोग तमाम जगह फैल चुका हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट कमेटी ने जो इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट दी हैं उस लिहाज से यह पैनेल क्लाजेज बहुत ठीक हैं और मैं समझता हूं कि न उनमें कमी करने की जरूरत हैं और न ही सजा के अन्दर कोई बेशी चीज करने की जरूरत हैं । यह जो बिल आया हैं यह जैसा हैं ठीक हैं, मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मिलावट का रोग ऐसा हैं जो खाली इस किस्म के कानून से बंद हो सकता हैं ? मैं यह अर्ज करूंगा कि यह नहीं हो सकता । मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस किस्म का कोई कदम उठाया कि जिसकी वजह से समाज में इस रोग को खत्म करने के लिये जागृति पैदा हो, मैं पूछना चाहता हूं कि समाज में उन्होंने इस किस्म की भावना पैदा करने की कोशिश की कि जो मिलावट खाने पीने की चीजों में हो रही हैं उसको किस तरह से कम किया जाय या लोग इस बात को समझें कि वह मिलावट नहीं होनी चाहिये ? मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मंत्राणी महोदया ने इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ इस किस्म का कानून ले आये, मैं मानता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये इस किस्म का कानून होना जरूरी था मगर उनको इस किस्म का कदम उठाना चाहिये जिससे समाज के अन्दर यह भावना फैले क्योंकि यह एक सोशयल इविल हैं और जब तक सोशयल कांशसनेस जनता में पैदा नहीं होती तबतक यह बिल एक फिजूल बिल रहता हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया जब रूल्स बनायें तब यह बात याद रखें जब फूड स्टैन्डर्ड्स की कमेटी कायम हो तो उस कमेटी का फर्ज होगा कि पबलिक में उसके लिये प्रोपेगेंडा करें, पोस्टर्स लगायें, स्पीचेज दें और रेडियो से इस, बात का प्रचार करें कि इस किस्म की मिलावट खाने पीने की चीजों में न की जाय । मैं चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया इस ओर ध्यान दें । एक छोटा सा अमेंडमेंट भी इसके सिलसिले में मैं ने पेश किया हैं और वह अमेंडमेन्ट क्लाज तीन के अन्दर हैं, उसकी मंशा सिर्फ यही हैं कि जब फूड स्टैन्डर्ड्स की कमेटी कायम हो तो उसका भी यह फर्ज हो कि वह इस किस्म का जगह जगह प्रोपेगेंडा करें । अध्यक्ष महोदय, मैं इस के मुताल्लिक और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्राणी महोदया मेरा जो यह संशोधन हैं उसको मंजूर करेंगी ।

एक चीज और हैं जो मैं कहना चाहता हूं और जिसके ऊपर मैं इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कई दफा इस हाउस के अन्दर बनस्पित घी के सम्बन्ध में डिबेट हुई हैं और बार बार यह कहा गया हैं कि अच्छा घी आज मिल नहीं पाता हैं और बराबर बनस्पित असली घी में मिलाया जा रहा हैं । गवर्नमेंट ने भी इस बात को कहा कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बनस्पित में एक किस्म का रंग मिला दें जो नुकसान रहित हो ताकि

[श्री कासलीवाल]

उसको असली घी में मिलाया न जा सके मगर आज तक गवर्नमेंट ने वनस्पति को रंगने की दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया । मैं यह चाहता हूं कि मंत्राणी महोदया इस हाउस को इस बात का आश्वासन दें कि वह बहुत जल्दी इस ओर कदम उठायेंगी और देखेंगी कि वनस्पति घी के अन्दर जो रंग मिलाया जाना है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय। मैं यह समझ नहीं सकता कि आज हमारे देश के वैज्ञानिक इस योग्य नहीं हैं कि वह एक किस्म का ऐसा रंग पैदा न कर सकते हों जो वनस्पति में मिलाया जा सके जिससे यह जाहिर हो सके कि यह वनस्पति घी है और यह असली घी है। मैं यह कह कर अध्यक्ष महोदय, इसको सपोर्ट करता हूं ।

Shri S. S. More (Sholapur): I whole-heartedly welcome this measure. I was a member of the Select Committee and there we did our best to improve this measure as far as it was possible. But I feel, and I am bound to state, that this Government, which is supposed to be running a welfare state is not as keen about this measure—this very useful measure—as it ought to be. Take, for instance, the fate of this measure. As the hon. Minister has already stated, it was introduced on the floor of the House, and debated on the 26th and 27th November 1952. The Select Committee realised the importance and urgency of this measure and, therefore, they worked full steam ahead and their report was presented on the 14th February 1953. In spite of the fact that the Select Committee realised the urgency of this measure and reported as early as possible, this Government did not find sufficient time to take this Bill into consideration, with the result that several months—the time calculation can be made by anyone—have passed, and that shows the great indifference of Government. The British, when there were here, were, of course, not very careful about such measures.

I will cite another instance. A committee was appointed in 1937 by the Central Board of Health, but under the rule of the British, when a foreign bureaucrat was sitting on the Treasury Bench, this committee could not proceed to consider the task entrusted to them for about two years. The committee was appointed in 1937, but they could not even hold their first meeting till 1939. And in spite of the fact that they produced a very weighty report referring to the technical aspects of the matter, no central measure was placed on the Statute-book or even introduced in this House. Now, it was for this Government to take up this measure with all the urgency that it demands, but we are really very sorry to see the great indifference that has been shown. I am not blaming the individual hon. Minister who is in charge; I know she was fighting against odds. Other measures, which were comparatively of little importance, were rushed through, but this very useful measure did not find any time. I think it was the best measure, but the weakest measure and, therefore, it was all along elbowed out.

I want to make a few comments about the measure itself. In clause I—I am making general observations—application has been given. But I have got some doubts and some questions to be posed to the Minister in charge. This particular clause refers to 'Food'—that is all—and the definition of 'Food' given in the Bill is very wide and extensive. Anything that is consumed by human beings, except the bribes that they consume—that will not come under this particular measure—will come under the definition of 'Food'. Is this measure going to be immediately applicable to all the categories of food?

I will refer to the different measures the State Governments have already put on their own Statute-books. My first question will be: will it apply to all articles of food or specific articles of food as Government may declare in their notification? For that purpose,

I would say that the Bihar Act, the Bombay Act, the Cochin Act, the Coorg Act, the Madras Act, the Orissa Act and the U.P. Act make a special provision as to all the types of food or special kinds of food that might be mentioned in the notification. There must be some provision to that effect because once this Act comes into operation in a particular area and there is no specific limit about, or specific definition of, the kinds of food to which this measure will be applicable, the result will be that all foodstuffs of whatever description will be coming under the penal clauses of this measure and it may lead to some undesirable results.

Then my next question will be regarding this very clause. Can we apply this measure temporarily? This clause says that Government may issue a notification, but it does not mention whether there will be any temporary application. For instance, there are fairs, there are occasional markets, periodical markets, there are certain large assemblies of people. In ordinary times that particular area will not be perfectly fit for the application of such a measure, but during the times of fairs or markets or such other periodical or occasional assemblies, it will be quite necessary and essential in the interest of the health of the people to have temporary application of this measure for a temporary purpose.

But there is no such specific provision in clause 1. There are so many State Acts. Take for instance, the Bihar Act. It says that a particular notification can have temporary application. Then there are the Cochin, Coorg, and Madras Acts which say that if the Local Government so directs they can apply only for the duration. The notification will make it applicable only for the duration of any market, fair or festival or other assembly of people. I think that such a provision for temporary application ought to be there in this also. It will be very handy and useful for the State Governments for the purpose of controlling adulteration during these periods.

Then, what is the position of the local bodies? Do they come into the picture? Mr. Chairman, you are quite aware that local bodies will have to bear a large share in implementing this particular measure. I would say that when a notification for extension of this measure is issued by the Central Government or the State Government, the local bodies concerned in a particular area, which are going to be affected by this, should be previously consulted. At least they should be allowed to have their say. In many of the State Acts there is a provision to that effect. But, so far as this measure is concerned, there is no such provision and it is quite possible to anticipate that the Central Government or the State Government may issue on their responsibility a notification making this measure applicable to a particular area. The local bodies may not be financially strong or their administrative machinery might not be sufficient to cope with the responsibility and if this responsibility is forced on them we can very well anticipate what will be the quality of their implementing this measure.

As far as I can see, in this particular clause there is no power given to the Central Government or the State Government to cancel a notification. Under some of the State Acts such specific power is given. For instance, in the Bihar Act, section 1 (3) such power is given to cancel or modify a notification once issued. Such a specific power ought to be given to the authority issuing the notification. Otherwise it might be interpreted that once the notification is issued, the matter is out of their hands and they cannot withdraw or modify it. That is a contingency against which we must provide by introducing specific words.

I would now come to the definition clause. I quite see that the definition of 'adulteration' given in this clause is very exhaustive. But, I have got one doubt. Take, for instance, sub-clause (e) on page 2:—

[Shri S. S. More]

"if the article had been prepared, packed or kept under insanitary conditions whereby it has become contaminated or injurious to health;"

Now, you know, Mr. Chairman, that agriculturists produce foodstuffs. Many of them being illiterate and ignorant have no knowledge about the healthy conditions under which they have to stock their grains or agricultural produce and they stock them under conditions which may be deemed to be insanitary. They will come automatically under this particular clause. If a Food Inspector is inclined to harass them, the poor peasantry who have no knowledge of the health requirements—I speak subject to correction—it is quite possible that they are kept under insanitary conditions whereby they have become contaminated or injurious to health—may come under this particular clause. This might become an instrument of mischief in the hands of unscrupulous Food Inspectors. I am not proposing any amendment to this clause and therefore I am appealing to the good sense of the Minister to see that this particular clause is not utilised or is not likely to be utilised against the peasantry who cannot possibly stock their foodgrains under sanitary conditions.

After having very elaborately defined 'adulteration', we have not proceeded to define some of the articles. I was reading some of the Acts that have been passed by the States and there I find that they have defined a good many articles. Milk has been defined; skimmed milk has been defined. Milk has been defined in the Bihar, Madras, Orissa and U.P. Acts; skimmed milk has been defined in Orissa. Butter has been defined in Orissa. As far as consumption is concerned we all know what butter is. But when the Act has to be implemented and it has to be made applicable to the different foodstuffs, all these articles should have clear and precise scientific definitions. As I have stated, butter has been defined in the Bihar, Coorg, Madras, U.P. and Orissa Acts. Curd has been defined in the Bihar Act; buttermilk has been defined in the Bihar Act. *Ghee* has been defined in a good many Acts; artificial *ghee* has been defined and not only that, the U.P. Act proceeds to define waste *ghee*. Then coconut oil, *til* oil, groundnut oil, linseed oil, mustard oil and all these things have been defined.

My friend Mr. Kasliwal was particular to refer to the question of *vanaspati*. *Vanaspati* has been defined in the Punjab Act; *charbi* has been defined in the Punjab and U.P. Acts. Hydrogenated oil has been defined in the U.P. Act and edible oils has been defined in the U.P. Act. I would rather say let us define all these articles in the statute itself. It is likely to be contended on behalf of government that when we shall be prescribing the rules we will be defining these different articles; or the Central Committee which is contemplated in clause 3, which is going to define the standards of different foodstuffs will also lay down the specifications and the standard and content of all these articles. In the interests of the traders who are likely to be affected by this measure let us define these. When the debate was taken up in November last, you raised your voice in the interests of the honest traders. I am prepared to make a distinction between honest traders who do not adulterate and the dishonest section which does nothing else than adulterate foodstuffs. Though this measure is designed against the adulterating class of traders, distributors and manufacturers, it is quite possible that even the honest section may come to grief and they are likely to be the persons most affected, because the persons who are indulging in adulteration will indulge in corruption also and try to escape from the tentacles of the supervising machinery. The Minister has said that on the integrity of the officers who will be in charge of detecting this food adulteration much of the success of this

measure will depend. I would say, for the benefit and protection of the honest section of distributors and manufacturers, let us have as many definitions and as precise definitions of the articles of consumption which are prone to adulteration as possible. Therefore, I would say why not emulate some of these State Acts? We might err on the side of superfluity. Brevity is a virtue on occasions, but in such a measure where control has to be exercised and when interpretation is likely to be question constantly, it would be much better to have the definitions as wide and precise as possible so that even honest people can find it from the statute itself the limits within which they can operate and when they would cross the line and come under the penal provisions of this measure.

10 A.M.

Then, Sir, I have nothing to say about the other provisions. I am free to voice my fears as to how far we shall succeed in implementing this Act. Many things have been left to the will of the State Governments. Now, the State Governments have passed their own Acts and have made them applicable to all the areas that come under their rule. They have made the Act applicable in a half-hearted manner in some urban areas and as far as rural areas are concerned, I find that the effect of this half-hearted implementation of the Act has been that dealers in adulterated foodstuffs are driven to rural areas. Mahatma Gandhi used to say: "Go to the villages". I think this advice has been taken by those who deal in adulterated foods and they are the people who go to villages because if they carry on their sinister profession within urban areas, possibly the machinery is there to detect. But even this urban machinery does not work efficiently. I can quote to you an instance. Take, for instance, Poona. There is a Corporation in Poona. The Bombay Act has been made applicable to the Poona area also but the government machinery or the local authority is not competent. It was difficult for it to detect all the cases of adulteration with the result that when we purchased *ghee* we purchased something which was not *ghee* and when we were supposed to drink milk we were drinking more *acqua pura* than milk itself. Such things have happened and many of the officers who were acting on behalf of the Poona Corporation came and discussed the matter with me. When any man was convicted for an offence, he went in appeal. The High Court took a very legalistic view of the matter, with the result that the milk vendors, in order to escape conviction, started saying: "This milk contains 25 per cent. of water, this 30 per cent. of water and so on." Though the lower court used to inflict heavy punishments of one year and Rs. 2,000 for diluting milk with water, the vendors used to go to higher authorities, to the High Court who used to view the case in a very legalistic manner and say: "The requirements of the order have been satisfied; the vendors have declared that the milk is diluted to such an extent; therefore, they have not committed any offence". I think we should not allow any such thing. I do not know whether this Act when it is taken up for interpretation by the highest tribunals in the court will suffer the same fate which the Bombay legislation suffered at the hands of the High Court. I fear, Sir, if we do not make it as fool-proof as possible, if we do not fill up the lacunae and the gaps in this measure, it is quite possible that this measure also may become a dead letter and the implementation will not be there. So, I would make an earnest appeal—I was on the Select Committee and I was convinced about the sincerity of the Minister in charge—to see that the measure is made as fool-proof as possible so that her good intentions are not defeated by the conditions prevailing now in the country.

There is one more point after which I propose to resume my seat. We have defined 'local authority', but our definition of local authority does not take into consideration the existence of some local bodies, particularly those operating in the rural areas.

[Shri S. S. More.]

Even here a sort of preferential bias is shown on the favour of urban local authorities. What about the local district boards?

Rajkumari Amrit Kaur: May I intervene at this stage and refer the hon. Member to the Government amendment which includes *panchayats* also?

Shri S. S. More: That is what I was exactly going to say. Take, for instance the Orissa and Bihar Acts. They have included district boards specifically. I have a soft corner for district boards because I myself was once associated with district boards for a pretty long time. District boards have jurisdiction over the whole of the district excluding urban areas where there are local authorities. These district local boards ought to be placed in the picture and consulted. It is their area and without them it is very difficult for the operation of this particular measure.

Then I say that village *panchayats* also should be specifically mentioned. Of course, the point has now been conceded and it is said that a separate amendment will be moved to that effect. But, what about district boards? *Panchayats* are supposed to be the children of district boards; the children are remembered but the parent is forgotten. That is not good.

An Hon. Member: They are not children but independent bodies.

Shri S. S. More: My submission is that all these amendments ought to be there.

As far as Food Inspectors are concerned, I do not know what type of people we shall have. Regarding their qualifications there are some qualifications prescribed. Take, for instance, clause 9 of the Bill. It is said in the proviso:

> "Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be so appointed".

Supposing he has some interest in articles of food which are exported? Sir, I point out this to you specifically and to the House, when you say: "provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale..", when you put the word 'import' it means that those who are exporting will be excluded. Therefore, people who have interest in the export trade of adulterated foodstuffs will be perfectly qualified under this clause to be Food Inspectors. That is not desirable. Export of adulterated foods is not made a penal offence in this case, but as far as recruitment of officers is concerned, they must not have any interest in any sort of trade, and particularly a trade which is interested in distributing foodstuffs to which this Act is likely to be applicable.

The same difficulty will be there in clause 8 regarding Public Analysts. It has been left to the State Governments to define what sort of people will be qualified to get this appointment and also define their areas and number. Here also the word 'import' only is mentioned in the proviso and there is nothing about export.

These are some of the remarks that I want to advance. As we proceed to the consideration of clause possibly some amendments here and some amendments there will be necessary and I hope at least the Minister in charge will keep her mind open to welcome suggestions coming from this side of the House by casting aside the feeling that the party in power is the only party which can table amendments with a view to improve a particular measure.

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मंत्रिणी महोदया ने खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट के सम्बन्ध में जो विधेयक १९५२ में पेश किया था और जो कि १९५३ में सेलेक्ट कमेटी से आया था, मैं नहीं कह सकता कि वह आज तक हाउस के सामने

क्यों नहीं आया था । जो कुछ भी हो, यदि किन्हीं कारणों से वह अब तक नहीं आ सकता था तो अब हाउस के सामने आया है । उस में जो सब से बड़ी चीज है वह वनस्पति के बारे में है । उसी पर मैं अपने ख्यालात रक्खूंगा ।

जो भी वनस्पति की चीजें हैं खास कर जो वनस्पति घी बाजारों में बेचा जा रहा है उस में किसी न किसी प्रकार का रंग मिलाना बहुत जरूरी था । लेकिन क्या कारण है, व्यापारियों की वजह से या कि किसी दूसरी वजह से कि सरकार ने रंग मिला कर के उस को बाजारों में नहीं डाला, यह मैं नहीं समझ पाता । मेरी राय में जो वनस्पति है उस में जल्दी से जल्दी रंग मिलाया जाय । हमारे यहां के जो ऊंचे ऊंचे कार्य करने वाले हैं वह अवश्य इस के लिये रंग बता सकते हैं और उस का मिलाना अत्यावश्यक

इसी प्रकार से हाइड्रोजनेटेड आयल अर्थात् खाने वाला जो तेल है उस को भी वनस्पति की तरह पर अलग ही रखना चाहिये । यदि हम इस को अलग रखते हैं और जो कि मिलावट की चीजें हैं उनसे लोगों को बचाते हैं तो हमारे यहां के लोगों की जो सेहत है उसे हम ज्यादा अच्छा बना सकते हैं ।

इस के साथ साथ इस बिल में जो सजा रक्खी गई है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत कम है । मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारी अदालतों को चाहिये कि वे कम से कम खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें जिस से कि हमारे यहां के जो रहने वाले लोग हैं उन की सेहत पर खराब असर न पड़ सके ।

इस के साथ ही साथ जो हमारे यहां की म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं या जनपद सभायें हैं और जो स्टेट सरकारें हैं उन्होंने इस चीज के लिये कानून बनाये हैं, लेकिन दरअस्ल जब तक हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इस के लिये कोशिश नहीं करते तब तक काम नहीं चल सकता है क्योंकि वे इन कानूनों को ठीक तरह से अमल में नहीं लाती हैं । यदि आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट्स हैं उन्होंने मिलावट के सम्बन्ध में जो कानून बनाये हैं यदि वह उन को ठीक तरह से अमल में लायें तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बन्द नहीं हो सकती । यदि हम अपने यहां के लोगों की तन्दुरुस्ती को ठीक करना चाहते हैं और ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं तो इस के लिये हमारा प्रयत्न करना आवश्यक है । ऐसे कानून अमल में तभी लाये जा सकते हैं जब कि वहां की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और दूसरी बाडीज हैं वह अपनी अपनी जगहों को चुनें और चुनने के बाद वहां पर इन कानूनों को कड़ाई से अमल में लायें । इस से वहां के लोगों को मालूम हो जायेगा कि इस कानून का बड़े जोर के साथ पालन हो रहा है और वह लोग दिल में डरेंगे और मिलावट करने की वृत्ति को रोकेंगे । इस तरह से जो लोगों की सेहत है उस पर ज्यादा अच्छा असर पड़ सकता है ।

मेरा यह अनुभव है कि यह जो बिल है यह बहुत ठीक और उत्तम बिल है मगर इस को हम जितनी जल्दी लाग् कर सकते हैं उतनी जल्दी लाग् करना चाहिये । यदि इस बिल को लाग् करने में देर हुई जैसे कि यह बिल सन् १९५२ में सेलेक्ट कमेटी से आ कर पड़ा रहा, तो मैं नहीं समझता कि इस बिल के पास करने से कोई फायदा होगा । इन बातों के सम्बन्ध में जो अधिकार हम ने स्टेट गवर्नमेन्ट्स को दे रक्खे हैं उन के ऊपर भी हम को जोर देना चाहिये ताकि वे अपने यहां पर इन कानूनों में रद्दो बदल कर के अधिक जोर के साथ कानून लाग् कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मंत्राणी महोदया ने जो बिल रक्खा है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

Shri M. S. Gurupadaswamy (Mysore): The recorded practices of adulteration of food date from the earliest times. There have been fre-

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

quent practices of such a nature ever since the middle ages. The methods and devices used at all times were done after advanced studies in the matter and important discoveries in chemistry have formed the basis for the system of adulteration. In India, the practice of adulteration of food articles dates back to the time of Manu. In the *Arthasastra* of Kautilya and treatises of Yagnavalkya you find frequent references to the adulteration practices which were in vogue at that time and the punishment meted out to the culprits. In recent times we have found various Acts operating in various States in India before the war. Before special Acts were enacted, provisions were made both in the Indian Penal Code and some of the municipal Acts for the purpose of dealing with this serious problem. Enactment of special Acts in various States is spread over nearly four decades. It is not as though we are not having any piece of legislation to deal with this matter, but so far we have not had the opportunity of enacting one piece of legislation at the Centre and to keep it as a model for the States to copy or adopt. The purpose of this legislation has been to place before the country a comprehensive model piece of legislation for dealing with this matter. In spite of the various Acts operating in the various States, so long you have to understand that the problem has not been successfully solved. On the other hand, notwithstanding these measures in the various States, we have found that adulterative practices have gone on merrily and little attempt has been made by State Governments or municipal authorities to check them. This measure seems to have been framed as a result of the experience that has been drawn from the operation of various Acts and it is more serious in its approach to the problem of food adulteration. That is all the difference. The existing Acts in the various States are still lukewarm and they have not taken this matter as serious. They have never regarded till today that food adulteration is a great social evil, that it is an evil against society and that it is an evil against the nation. They have not thought that this evil is a grievous crime directed against the general public. This measure is intended to focus the attention of the House and the nation to the seriousness of the problem. There, I think, sufficient emphasis has been given, and to that extent, I must congratulate the framers of the Bill.

I must, however, at this juncture, point out that this measure may not go far enough. I am having doubts not because the object of the Bill is not properly conceived. To my mind the enunciation of the objective has been properly done. We are all agreed on our objective, and it is a very laudable one. The purpose is to put an end to all sorts of adulterative practices prevailing in the land and to exercise a sort of organised control on food supply in the land. That was the purpose even in the previous provincial Acts, but unfortunately, the past experience is very far from satisfactory. We all know, we could not realise the objective because the machinery which was tackling this problem proved ineffective. The operation or the administration of the Acts became very loose. The machinery or the apparatus provided by the governments was not good. The personnel employed were indifferent, careless and corrupt. Because they were corrupt, the administration of the acts was greatly abused. The committee appointed by the Central Advisory Board in 1943 to investigate the question of food adulteration has observed that the working of the Acts exists only on paper because Government have failed to realise that food adulteration is grave offence against the public. The committee has reported all the drawbacks in the operation of these Acts. They have said that no serious action for the examination of samples has been taken by the local authorities. In the Punjab, Uttar Pradesh and Baroda, there were

instances of local bodies failing to send even a single sample for examination. In some cases there has been harassment and in other cases where big people were involved, no prosecutions were launched. A number of big offenders have gone unpunished. Moreover, the operation of the Acts in the various States has shown that there has been inordinate delay in courts in dealing with food adulteration cases. Instances are numerous to show that cases have been pending for more than a year and a half. So merely by passing this measure, we cannot possibly be very optimistic about its success. Unless and until Government realise the gravity of the situation, the problem cannot be solved. The gravity of the problem is that we have not got adequate and competent personnel to deal with the problem. I wish to repeat again that the personnel that have been there have been very corrupt and indifferent. They have been very callous. They have been punishing only the little poor people and not punishing the big offenders. That has been the practice. That has been the experience. This experience will continue even in future, in spite of this measure, if the Government do not step in to take serious action and serious notice of this great loophole in the administration of this Act.

The Committee that was set up for this purpose has analysed the percentage of adulteration which was prevailing in pre-war days, that is before 1940. It has collected data. According to that data, we find the percentage of adulteration in various articles of food ranges between 18 and 90, or, to be more exact, it is 89. I think the picture is more alarming today. The percentage of adulteration has gone very high—more than 100 per cent. So, unless and until we grapple with this problem in right earnest and set up a proper machinery, and unless and until the apparatus that you are going to provide is honest, sincere and loyal and unless they work in a spirit of zeal, then, it is very doubtful whether this Act is going to succeed at all. This Act will follow the fate of the parent Acts which have been functioning in various States. It may remain in the country for years: it may decorate the statute-book, but more than that, it cannot achieve anything. You may have the psychological satisfaction that you have passed the measure as a model measure. That is all. But the real satisfaction of the community will not be coming, because you cannot effectively translate objectives into reality.

Then, the Bill seeks to set up a committee for dealing with this problem—a committee on food standards, to advise the Governments of both the Centre and of the States. It contemplates also the setting up of a national laboratory. It also envisages Food Analysts and also Food Inspectors for the implementation of this Act. This machinery is good and is all right on paper. But I want to know whether this apparatus is sufficient and adequate for dealing with this problem. Is it sufficient? For instance you are thinking of setting up a laboratory for the nation. Can this single laboratory function effectively and deal with all these problems? Can it examine and study the various adulterative practices? Have you got the necessary personnel to man this laboratory? Unless and until there is proper staff for this laboratory and unless and until the regional laboratories are started in various places, it is very difficult to tackle this problem. The problem is so great but the apparatus is so simple and small. That is my complaint. So, I submit that unless and until many laboratories are started in various regions in the land, it is very difficult to cope with the problem of this nature.

Then again, this measure is not a measure which is applicable to the whole country. Some Members of this House may criticise the Government and the sponsor of the Bill for making it optional, for not making it universally applicable and compulsory from the very start. As far as I am

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

concerned, I can say that this particular provision in the Bill is quite salutary. As I have pointed out early there have been occasions in the past when there have been so many lapses on the part of the present-day Government personnel in handling this question. I say particularly that there has been systematic harassment of the poor people by the Government officials and the local authorities. Only some people are picked and chosen for the purpose of prosecution and others were left out. So, you should try this measure as an experiment in the beginning. If you succeed there then, I have no objection to apply it to the entire nation. But do not apply it to the entire nation now, because you are not sure whether the Government machinery is proper, and honest. So, I find that this special provision is particularly good, because it is experimental in nature. Let us make an experiment in certain selected areas, and if we succeed there, then you can make this Act applicable to the entire nation; otherwise not, because I find that this measure, when it is worked, may prove an instrument of injustice in the long run. I draw a parallel in this connection. Various States have passed the prohibition measures. What has been the result? What is the experience that we have gained by these Acts? The experience is bad. The objective is no doubt very laudable. It is to bring about prohibition in various places, but that objective has not been achieved so far. Drinking is a bad habit. It is a social evil. But now, what do we find? More drink and still worse other evils have been added to the existing evil. The existing evil has not been removed but the other evils have been brought by the operation of prohibition Acts. The evil of corruption, the evil of bribery, the evil of harassment—so many other evils have been added to the existing evil, and the existing evil itself has not been eliminated. The same thing may happen here. Adulteration may not be eliminated. On the contrary, other evils may be brought and added to the existing evil. There may be multiplication of more evils in society. So, I say that you must start this measure only in a few places, say municipal areas or other local areas. If we succeed there, then we can apply it to the rest of the country.

There are one or two more suggestions which I want to make in this connection. We must look at this Bill from the point of view of an economist, that is from the economic angle. What is the economic angle? We must know first of all why people purchase adulterated foodstuffs. Why do they eat it? Not that they are completely ignorant of it; perhaps partly they may be ignorant. Mostly, people purchase adulterated foodstuffs because they are cheap; because adulterated articles are readily available in the market. Their prices are so low that they suit their pockets. The purchasing capacity of the common man is so poor in our country that they cannot purchase pure foodstuffs at exhorbitant prices.

Dr. Ram Subhag Singh (Shahabad—South): There is no place in Delhi where pure *ghee* is available.

Shri M. S. Gurupadaswamy: You must analyse the reason. Pure *poorie* or *ghee* is not available in Delhi because they get the customers for the impure articles. Why should customers go to purchase impure articles? They go to purchase impure articles because those articles are cheap and the people cannot pay higher prices.

Dr. Ram Subhag Singh: The adulterated foodstuffs are sold at a price which is fixed for pure foods. They are sold at the 'pure' price. That is the difficulty.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur Central): Even when they pay a high price, they cannot get pure foodstuff.

Shri M. S. Gurupadaswamy: That is not the problem. People cannot pay

higher price for pure foodstuffs. (*Interruptions.*)

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member may proceed.

Shri M. S. Gurupadaswamy: The people go to the vendors for purchasing the adulterated foodstuff because they are cheap. That is the only reason why there is a market for foodstuffs which are adulterated. Suppose there are no consumers at all. Do you mean to say that the vendors will be there selling adulterated foodstuffs? Never. Because there is a market for the adulterated stuff. Vendors go about and sell them. Our main concern at the moment is how to meet this problem, how to tackle this menace. As things stand at present the gap existing between the cost of production and the sale price of an article is very big, and it is high time that we find some means of filling up this wide gap. This great disparity between the cost of production and the sale price is due to the high distributive cost. There are a series of intermediaries functioning between the producer and the consumer. We must do away with them, and try to reduce the price considerably. The only way to do it is to set up cooperatives. If Government only pass this measure without taking other steps in this direction, this measure will remain only a paper Act: it cannot succeed, it will never succeed.

There is one more important matter which I would like to mention in this connection—that is about hawkers. Sir, the menace of debasing of foodstuffs is largely ascribed to the trade of hawkers. Hawkers go about in the streets, they sell food-stuffs at the door-steps and people unthinkingly purchase the articles sold by the hawkers. Our main problem is how to control these hawkers. One of the suggestions is to do away with the hawkers. Some say, let us have no hawkers at all. But that is not a practical method of dealing with the problem, because that will do a great hardship to a large section of the people who depend upon this trade. There are thousands and thousands of people who are living on this trade; hawking is their only means of livelihood. By doing away with the hawkers you will be only adding more numbers to the ranks of the unemployed and creating distress among these people.

The hawkers can easily be controlled by a system of licensing. There should not be any hawker anywhere in the land who sells articles of food without a license. Every hawker should be registered and he should have a license with him. In other words, the hawkers' trade in India should be rationalised. The main things in which immediate steps should be taken by Government are: Government should start Co-operatives for the purpose of distribution of articles of food; two, hawkers trade must be rationalised. But what are we seeing today? If a hawker is having some shop on a pavement, the policeman goes there and creates trouble for him, files a petty case against him. The hawker becomes nervous. He is ignorant of law. The result is his trade suffers, he suffers and his family suffers. That is what is actually being done. The Indian Penal Code and the various bye-laws of the municipal committees contain some provisions to deal with the hawkers. But the police have become an instrument of harassment. It is therefore time that we properly rationalise the hawkers' trade and license them.

Lastly, Sir, I would again appeal to the hon. Health Minister that we should view this problem from an economic angle. Though it is mainly a social evil, it is an economic evil also. It has a great bearing on the health of the community. No civilised country, no advanced society can permit adulteration. The vital question is how to tackle it. In fact, the approach is more important than the enunciation of the principle. The main question is how to tackle this problem. Unfortunately, the approach of the Government is not satisfactory, and unless and until they take the

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

measures mentioned by me, they will not be able to grapple with the problem and put down the menace of adulteration of foodstuffs.

Dr. Rama Rao (Kakinada): I am very glad to find that there is all round support for this Bill which has come out after eighteen months of hibernation. I do not want to take much time of the House, but would like to say only a few words.

The success of this measure depends to a large extent on the efficiency of the State Governments in enforcing this measure. As far as the Central Government is concerned, they must immediately start the Central Food Laboratory contemplated in the Bill. We have a number of laboratories already in places like Calcutta and Madras. But a central institution will enable food samples to be analysed expeditiously and people will know what adulterated food they are taking.

My hon. friend Mr. More said that while the Central Committee of Standards may prescribe standards, their definition should not be left to them. I think there is much of legal quibbling in this and I do not wish to enter into it.

In regard to "Definitions" subclause (e) of clause 2 reads:

> "if the article had been prepared, packed, or kept under insanitary conditions whereby it has become contaminated or injurious to health;"

I do not think this sub-clause would affect the agriculturists, because agriculturists know how to keep their articles. It would only affect hawkers who keep foodstuffs on the road with swarms of flies hovering over them. No responsible Government can tolerate this. My hon. friend Mr. Gurupadaswamy suggested the licensing of hawkers. Or, we may prescribe the containers in which foodstuffs should be sold. But whatever might be the methods adopted, no responsible State can tolerate the sale of infected and dirty food sold on the roadsides.

The commonest of the foodstuffs which is adulterated is milk. It looks as though unless you have a cow or a buffalo, it is practically impossible to get good milk. The Prime Minister was recently reported to have remarked that when he is abroad he likes to drink the creamy, rich milk available in those countries. In fact, it is next to impossible to buy such milk here. Even the milk supplied by the Indian Council of Agricultural Research in Delhi—I am sorry to say—is not cent per cent pure. I have not got it analysed. But I am a man who comes from an agricultural family and have been drinking milk for the past half a century and can say that the milk supplied by the Indian Council of Agricultural Research is not cent per cent pure.

The Bombay Government have been supplying pure milk to the citizens of that City. Of course, supplying milk for one city is not enough, but to make a start somewhere is better than doing nothing, or only trying to punish the offender. Regarding milk, even yesterday, I saw a letter in the *Statesman* detailing how the entire load of milk cans was being adulterated—fortunately, only with good water. We cannot be sure of quality of the water that is added. In Madras recently I was in a family and I asked them why they were using milk powder. "Anyway, we pay a higher price for the milk manufactured from milk powder and sold as milk; then why not we use milk powder ourselves?", they asked. There is a lot of addition of water and milk powder is being used and it is sold as genuine milk. Milk particularly is a feed for the infants and babies and the sick people and the State Governments should take effective steps to see that good milk is supplied. I know, in Travancore-Cochin, there is a variety of wild plant whose leaves are in great demand because it is

mixed with tea. So also, it is the case with coffee.

I want to refer to one clause, *viz.* clause 16 because a general principle is involved. I refer to page 11. We are all certainly in favour of giving severe penalties but here there is a provision which compels the magistrate to give a minimum punishment. The magistrate must give such and such punishment which, to my sense of law as a layman, is repugnant to justice. I shall say more about this at the proper time when I move the amendments. This is not fair and I request the hon. Member to consider whether we can tie the hands of the magistrate and ask him to give such and such punishment and not less. We may fix the maximum punishment and leave it to the good sense of the magistrate to give the proper punishment for this heinous offence. It is of course a heinous offence whether it be Datura mixed with Australian wheat or something else; we must stop it and take effective steps. With these words, I support the Bill.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर---मध्य): वाचस्पति जी, यह बिल जो आज लोक सभा के सामने आया है यह लोगों के देखनेमें मामूली बिल मालूम होता होगा और वह सोचते होंगे कि इस पर ऐसी क्या बहस होनी चाहिए और क्या इस पर गवर्नमेंट को करना चाहिए । लोगों की एक मांग थी इसलिए यह बिल लाया गया है ऐसा सोचा जा सकता है । पर यदि इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करके देखा जायगा तो मालूम होगा कि यह बहुत ही महत्व का बिल है । और इस समय भारत वर्ष में इसके ऊपर लोगों का जीवन निर्भर करता है । आज जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का विशेष कारण आज एडल्टरेंटेड फूड (मिश्रित खाद्य) पदार्थ हैं । जितने मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं वे सब इसके मूल्य कारण हैं । अभी गत वार मैं कलकत्ते में था । वहां आंख, कान, नाक और गले के इलाज के सबसे मुख्य डाक्टर राय हैं । वे इन रोगों के विशेषज्ञ हैं । मुझे उनके पास एक मरीज को लेकर जाने का मौका हुआ । उस मरीज की नाक में बीमारी थी । छोटे डाक्टर ने कहा कि यह जो बीमारी है यह इनकी नाक की हड्डी बढ़ जाने से हो गयी है और अगर इस हड्डी को बिजली से या कोई और तरह से घिस दिया जाय तो यह बीमारी ठीक हो जायगी और उन्होंने उस मरीज से कहा कि तुम बड़े विशेषज्ञ डाक्टर राय हैं उन के पास चले जाओ । उनकी क्या फीस होती है यह तो आप लोग जानते ही हैं । मैं भी उसके साथ गया और उन्होंने हमको बतलाया कि इस बीमारी का जो इलाज डाक्टर साहब ने बतलाया है वह १५ वर्ष पहले लागू होता था । आजकल इस इलाज में हम लोग विश्वास नहीं करते । इस प्रकार की जितनी बीमारियां होती हैं वे बहुत कुछ पेट के रोग से होती हैं । उन्होंने बतलाया कि यह इलरजिक कंडीशन का रोग है और मैं इस प्रकार के रोगों का खास इलाज करता हूं । उन्होंने कहा कि दस पंद्रह वर्ष पहले मैं देखता था कि कभी कोई एक आध मरीज इस प्रकार का आता था परन्तु आज हमारे बगल के वेटिंग रूम में दीखये इस प्रकार के बीसों पेशेंट बैठे हुए हैं । तो मैं ने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है आप कृपा करके हमको बतलाइये । तो उन्होंने अन्य सब एडल्टरेंटेड फूड्स के बारे में कहते हुए बतलाया कि यह जो डालडा वेजिटेबिल आदि चलने लगे हैं इन्हीं के कारण लोगों में मुख्य रूप से एलरजिक कंडीशन की बीमारियां फैल गयी हैं । तब मैं ने उनसे कहा कि आप तो पार्लियामेंट के सदस्य हैं आप इस विषय में क्यों नहीं कुछ कहते । उनका नाम डाक्टर राय है । आज अभी शायद वे यहां नहीं हैं । मैं ने कभी यहां उनको इस सम्बन्ध में कुछ कहते हुए नहीं सुना । ऐसा मैंने उनसे कहा तब उन्होंने कहा कि हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वहां पर तो लोग अपनी एक राय बनाये हुए बैठे हैं । वे हैल्थ मिनिस्टर हों या कोई भी हो सभी अपनी एक राय बनाये हुए बैठे हैं कि इससे किसी प्रकार का रोग नहीं होता । कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस चीज को बहुत दिनों से खा रहा हूं और कोई रोग नहीं हुआ । उनका

[श्री झुनझुनवाला]

कहना है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जो बार बार चिल्लाते हैं यह बेकार है । वह क्यों ऐसी बातें यहां कहते हैं । आज वह डाक्टर साहब यहां होते तो मैं उनको कहता कि वे भी कुछ कहें । उन्होंने बतलाया कि यह एक मुख्य चीज है जिसकी वजह से लोगों में एलरजिक कंडीशन बढ़ गयी है । अब मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से पूछूंगा कि क्या उन्होंने भी कोई तलाश की है और अगर की है तो उनका क्या विचार है कि किस तरह से इसको दूर किया जाय । जब कहा जाता है कि आप इसका कोई इलाज कीजिये तो कह देते हैं कि क्या उपाय करें कोई तो उपाय सूझता नहीं । तो मैं मंत्रिणी जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो बिल यहां पेश हुआ है यह कामयाब होगा या नहीं । जब कांस्टीट्यूशन में यह दिया गया कि यह विषय सेंट्रल विषय समझा जायगा तो मैं ने एडल्टरेंटेड फूड आदि के बारे में एक बिल दिया था । उस समय स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने मुझ को एक पत्र लिखा था कि हमको इस बिल से बड़ी भारी हमदर्दी है और मैं चाहती हूं कि यह चीज जल्दी से जल्दी दूर हो जाय । परन्तु केवल बिलों से क्या होता है । इस प्रकार के बिल हर एक स्टेट में हैं परन्तु वे तो कुछ काम करते नहीं । केवल बिलों से कुछ नहीं होगा । इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए । मैंने उसके जवाब में उनको लिखा था कि मैं आपके इस कहने से पूर्ण रूप से सहमत हूं, परन्तु आप तो यहां की स्वास्थ्य मंत्रिणी हैं, आप दिल्ली स्टेट में, जो कि उस समय अलग राज्य नहीं बना था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही हैं ? उसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं आया । फिर जब वह बिल एजेंडा पर आया तो फिर उन्होंने हमको एक ऐसा ही पत्र लिखा था कि मैं इस बिल को वापस ले लूं । मैं ने कहा कि मेरे इस बिल को वापस लेने से या पार्लियामेंट में इसको रखने से यह रोग दूर होने वाला नहीं है । परन्तु लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं ने यह चीज रखी है । मेरी इस चीज को आप यहां रहने दीजिये ताकि लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो । वह बिल गत सेशन में आया भी था और मैं ने उस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बतलाया था कि किस किस तरह से हर एक चीज में, आटे में, हल्दी में, मिर्चों में, घी में, दूध आदि में मिलावट होती है । ये सब बातें मैं ने उस समय अच्छी तरह से बतलायी थीं । मैं फिर उन बातों को कह कर संसद का समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं मंत्रिणी जी से यही पूछना चाहता हूं कि जब उनकी यह राय है कि इस प्रकार के बिल से कुछ होना जाना नहीं है परन्तु इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए उन्होंने इस बिल में क्या रखा है । दुर्भाग्यवश मैं इस सिलेक्ट कमेटी में नहीं था। मुझ को इसमें बहुत इंटरेस्ट था । अगर मैं कमेटी में होता तो कुछ बतलाता मगर इस समय इतनी डिटेल में कहने से बहुत समय लगेगा और उससे कुछ वास्तविक लाभ भी नहीं होगा । इसलिए मैं मंत्रिणी जी से यह पूछूंगा कि उन्होंने इसके लिए क्या उपाय सोचा है ।

जैसा कि मैं ने शुरू में निवेदन किया यह एलरजिक कंडीशन पैदा होने का मुख्य कारण है । यह पता है कि यह चीज आसानी से मिलायी जा सकती है और इसका कोई पता नहीं लगेगा । जैसे कि वैजिटेबिल घी, घी में मिलाया जा सकता है । उसका कोई पता नहीं लग सकता । जब तक सरकार इस चीज को रोकने का प्रबन्ध नहीं करती तबतक मैं कैसे समझूं कि सरकार की यह इच्छा है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ न बिकें जिनसे कि लोगों के स्वास्थ्य को इतना भारी नुकसान होता है । मैं कैसे समझूं कि उनका मंशा ठीक है और इस प्रकार की चीज वह चाहते हैं । मैं यह बात उनसे जानना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट समझ गयी है कि सचमुच इस चीज से हानि होती है जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया है तो क्यों नहीं वह जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय

करती और कोई कानून लाकर इस स्थिति को दूर क्यों नहीं करती। इतना अभी कहा गया है इंस्पेक्टर्स आदि के लिये। यह तो ठीक है, इंस्पेक्टर आदि एप्वायन्ट किये जायं और वे जा २ करके जांचे और देखें कि कानून पर अमल हो रहा है कि नहीं। इनका काम हमको देखने का अनुभव हुआ है। यह जब कहीं भी संसद् में कहीं भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्पेक्टरों ने क्या किया, तब वह कह देते हैं कि इतने प्रासीक्यूशन हुए और इतने आदमियों को इतनी २ सजा हुई और यह प्रासीक्यूशन हुए परन्तु कहीं एडल्टरेटेड चीज बिकने में कमी हुई है या नहीं इस सम्बन्ध में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मिस्टर मुकर्जी ने अपना नोट आफ डिस्सेंट देते समय पनिशमेंट के सम्बन्ध में जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं परन्तु जो उन्होंने कारण बतलाये हैं उनसे मैं एकदम सहमत हूं कि ये इंसपेक्टर लोग जो हैं वे बेचारे गरीब और मामूली आदमियों को पकड़ २ करके उनको कुछ सजा दिलवा देते हैं और सजा दिलवा करके अपना एक रिकार्ड तैयार कर लेते हैं कि हमने इतना काम किया। वास्तव में खाद्य पदार्थ में मिलावट की चीजें बिकती हैं या नहीं उसमें कमी हुई है या नहीं इसके ऊपर इंस्पेक्टर लोग जरा भी ध्यान नहीं देते और न ही हमारी सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान देती है। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार कहीं पर रायट्स आदि शुरू होने पर सरकार उनकी रोकथाम के लिये खास मेजर्स अख्तियार करती है, खास काम करती है और हर एक शहर और मुहल्ले २ होम गार्ड एप्वायन्ट करती है जो गड़बड़ को रोकते हैं और शान्ति स्थापित करते हैं और अपने मुहल्ले और एरिया में शान्ति बनाये रखने की उन पर जिम्मेदारी होती है और उनसे जतला दिया जाता है कि अगर तुम्हारे वहां कोई गड़बड़ी होगी, तो उसके लिये तुम जिम्मेदार होगे। यह चीज बड़ी भारी महत्व की है परन्तु इसका महत्व कोई अपने मन में नहीं समझता न उसके ऊपर इतना ध्यान देता है। मैं चाहता हूं कि जैसे रायट्स के समय होम गार्ड्स वगैरह होते हैं, उसी तरह इस एडल्टरेशन को रोकने के लिये हर एक मुहल्ले में इंस्पेक्टर्स के साथ २ होम गार्ड्स नियुक्त होने चाहियें जिनको इंस्पेक्टरों के समान पावर्स हों। लोकल बाडीज के जो म्युनिसपल कमिशनर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेम्बर्स हैं उनको भी यह पावर होनी चाहिये कि वह इस बारे में देखभाल कर सकें। गवर्नमेंट को सिर्फ इतने से ही संतोष नहीं मान लेना चाहिये कि हमने इतनों को इस जुर्म में सजा दी। गवर्नमेंट का न यह उद्देश्य है और न होना चाहिये कि ऐसा बिल लाकर हम किसी को सजा दें। उद्देश्य यह होना चाहिये कि खाद्य पदार्थों में यह जो मिलावट करने का रोग है, यह रोग किस तरह से हमारे बीच में से दूर हो।

लेबोरेटरीज की बात ही ले लीजिये, वहां चीजें जांच के वास्ते भेजी जाती हैं। वहां के बारे में मेरा स्वयं का अनुभव है कि ठीक चीज जांच के वास्ते वहां पर भेजी गयी लेकिन उसकी रिपोर्ट आयी कि उसमें मिलावट है और मिलावट वाली चीज वहां पर जांच के लिये गयी तो उसके बारे में वे रिपोर्ट देते हैं कि यह चीज शुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या करती है। एगमार्क घी को लीजिये, गवर्नमेंट से सर्टिफाई होकर वह घी आता है लेकिन आप बाजार में चलिये मैं आपको उसको लेकर दिखला सकता हूं कि उसमें मिलावट है परन्तु सरकार से यदि हम इस बारे में कहेंगे तो वे कहेंगे कि आप यह बात कैसे कहते हैं, यह तो गवर्नमेंट लेबोरेटरी में टैस्ट हो चुका है लेकिन असलियत यह है कि उस घी में कई बार आधा डालडा भी मिला हुआ रहता है। हमारे भाई पंडित ठाकुर दास भार्गव डालडा घी के बड़े प्रेमी हैं और उसका जिक्र बराबर किया करते हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है।

अब रही दूध की बात। अभी हमारे पूज्य टंडन जी कहते थे और उनको आश्चर्य होता था कि यह जो दूध आता है यह गाय का दूध नहीं है क्या था जो घी आता है या गाय का

[श्री झुनझुनवाला]

की नहीं हैं । क्या सरकार के यहां जब भैंस का दूध बच जाता है तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी मिला दिया जाता है और वह ठीक गाय जैसा पतला दूध बन जाता है और वह गाय का दूध बन जाता है परन्तु क्या जिस रोगी को गाय का दूध पीना चाहिये उस दूध के पीने से उसका रोग जाने वाला है ? उस रोगी को वैद्य मना करता है कि तुम भैंस का दूध मत पीना, तुम्हें नुकसान करेगा, भला बतलाइये जब गवर्नमेंट स्वयं इस किस्म की कार्यवाही और गड़बड़ी करती है तो इस प्रकार का मंजर लाने से क्या लाभ है, जरूरत तो इस बात की है कि बिल पर अमल होना चाहिये । क्या हमारी मंत्राणी जी कभी भी दिल्ली शहर में गयी हैं और स्वयं भी देखा है या किसी दुकानदार के यहां जाकर कोई चीज खरीदी है और मैं समझता हूं कि अगर हमारी मंत्राणी जी बजाय बाहर टूर करने के पब्लिक में मिक्स करें और खुद दुकानदारों के पास जाकर चीजें खरीदें और देखभाल करें तो इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा । मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं कि बाहर के कंट्रीज का टूर बेकार है, हमको बाहर के देशों से दवाइयां मिलती हैं जो हम रोगियों में बांटते हैं परन्तु यदि हमारी मंत्राणी महोदया दो तीन बार दिल्ली शहर में चली जायं तो यहां के दुकानदारों और विक्रेताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा और स्थिति में सुधार होगा । यही हमारे महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि हम सेवा भाव से और लोगों के पास जायं और उनको समझावें बुझावें परन्तु हमारा काम तो आज केवल पार्लियामेंट में बैठ करके एक्ट पास कर देना भर हो गया है और यह कह देना हो गया है कि सरकार ने अपना काम कर दिया । जिसके सम्बन्ध में उनको स्वयं सन्देह है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और यदि उनको स्वयं सन्देह है तो वे बतलायें कि कौन से वे दूसरे उपाय हैं जिनके द्वारा यह चीज दूर हो सकती है ।

एक बात हमारे सोशलिस्ट पार्टी के भाई ने बतायी कि यह जो एडल्ट्रेशन की चीज है यह एक एकोनामिक प्राबलम है । लोग मिलावटी चीज चाहते हैं क्योंकि उसके दाम कम होते हैं परन्तु मैं यह कहता हूं कि यह बात एकदम गलत है । जो लोग पैसा भी देना चाहते हैं उनको भी एकदम अच्छी चीज नहीं मिलती । यदि हमारे उन भाई का ऐसा ख्याल हो कि लोग सस्ती होने के कारण उस मिलावटी चीज को लेते हैं तो मैं चाहूंगा कि कम से कम इस कानून में इस प्रकार की बात लिख दी जाय कि जो लोग बेचने वाले हैं वे अपनी चीज के ऊपर लिख दें कि यह चीज मिलावटी है और यह चीज असली है जिसको असली लेना हो वह यह चीज ले और जो नकली लेना चाहे वह यह चीज खरीदे और गलत चीज लिखने वाले को सजा दी जाय । अब इसमें कितनी ही कानूनी बारीकियां हैं जिनमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता । मैं कानूनी बारीकियों में जाकर संसद् का समय नहीं लेना चाहता क्योंकि कानूनी बारीकियों को टैकल करने के लिये ठाकुरदास भार्गव सरीखे वकील हैं जो बड़े से बड़े कलप्रिट को छुड़ा लाते हैं । आज जरूरत समाज की मनोवृत्ति को बदलने की है और वह तभी बदल सकती है जब सरकार की मनोवृत्ति हो कि हम उसको हटायें । इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़---पूर्व): अध्यक्ष महोदय, यह खाने की चीजों में मिलावट का प्रश्न बहुत दिनों से हमारे देश के सामने है और केन्द्रीय सरकार भी बहुत दिनों से कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है । एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि यह यूनिफार्मिटी का जो प्रश्न है कि तमाम राज्यों में एक ही तरह का कानून इस सम्बन्ध में हो, मैं इससे सहमत हूं और यह बात तो इस कानून से सिद्ध हो सकती है परन्तु यह बात कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो, इसका काफी प्रबन्ध हमारे इस कानून से हो जाय ऐसा मैं नहीं समझता । यह कानून तो करीब करीब हर राज्य

में हैं और यह कहना कि हमारी सरकार चाहती नहीं है कि हम मिलावट को दूर करें यह ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि अपने देश की कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो इस को न चाहे, विशेष रूप से हमारी सरकार जो कि इस के पीछे बहुत दिनों से पड़ी है और राज्य की सरकारें भी जब से यह प्रश्न इन के सामने आया तभी से उस पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं। परन्तु यह विषय इतना गम्भीर है, इस में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से काम नहीं हो सका। तो यह जो विधेयक हमारे सामने है उस में हम कुछ ऐसा प्रबन्ध जरूर करें जिस से मिलावट को हम जाहिर कर सकें, मिलावट को मालूम कर सकें। जैसे लेबोरेटरी स्थापित करने की बात हुई, लेकिन यह कोई इतनी बारीक बात नहीं है। मिलावट का प्रश्न हमारे देश के सामने बहुत दिनों से है। आम तौर से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन में से शायद कुछ मुस्तसना हों, नहीं तो प्रायः सभी चीजों में मिलावट होती है और यह बहुत जाहिर सी बात है, कोई बड़ी पेचीदगी इस में नहीं है। यह कोई ऐसी बारीक बात नहीं है कि जिस के जानने में कोई बड़ी दिक्कत हो। तो जब यह इतनी जाहिर चीज है, इतनी स्पष्ट है तो ऐसी दशा में हम को इस पर ज्यादा विचार करना कि बहुत बारीकी के साथ हम इस मिलावट को अलग कर सकें, जाहिर कर सकें, यह कोई इतने महत्व का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। दरअसल महत्व का प्रश्न यह है कि हम कैसे इस को दूर करें जब कि यह बात इतनी जाहिर है तो हम इस को दूर करने का क्या प्रबन्ध करें। इस प्रबन्ध के करने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि हम को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि अदालतों में इस के लिये सजायें काफी हों और काफी सख्त हों। हमारे मित्र झुनझुनवाला ने कहा कि इस को करने से कोई बहुत काम नहीं बनता है, हम को इस के रुकावट की कोशिश करनी चाहिये, प्रिवेन्शन का प्रबन्ध करना चाहिये। उन्होंने ऐसा फर्माया और दूसरे साथियों ने भी फर्माया कि हम को प्रोपेगन्डा करना चाहिये, लोगों में इस का प्रचार करना चाहिये ताकि लोग भी इस में सचेत हो जायें। इस प्रकार से तरह तरह के सुझाव आये। जितनी बातें इस प्रकार की रक्खी गई हैं कि प्रिवेन्शन वाले मेजर्स लें, हम रुकावट की कोशिश करें, उसके लिये प्रचार करें, तो यह सब बातें तो केवल सरकार ही नहीं बल्कि हम सबों का, जितने लोग देश में रहते हैं और समझदार हैं, उन सब का कर्तव्य है। बहुत से हमारे संगठन हैं, संस्थायें हैं, उन को भी करना चाहिये और इन संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिये। लेकिन जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो हम को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि सरकार क्या कर सकती है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि अगर आप यह सोचें कि प्रचार कर के, लोगों को समझा कर के आप इस को दूर कर सकें, तो यह जल्दी नहीं हो सकता। यह काफी समय लेगा और समय पर ही पूरा हो सकेगा यदि हो सका तो। ऐसी अवस्था में तो मैं यह समझता हूं कि जहां कहीं पर ऐसे मामले पकड़े जायें जिन में कि खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, वहां पर लोगों का समरी ट्रायल होना चाहिये और सख्त सजा होनी चाहिये।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

इस में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये और समरी ट्रायल कर के जल्दी ही सजा हो जानी चाहिये। यह न हो कि एक मुकदमा चला दिया गया और वह वर्षों तक चलता रहे। अगर ऐसा होगा तो सजा देने का जो काम है वह कोई खास असर नहीं रक्खेगा। इस वास्ते हमारे इस विधेयक में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध होना चाहिये। मैं देखता हूं कि इस में ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि समरी ट्रायल हो और जल्दी से सजा मिल सके। इस में मुझे कोई ऐसा प्रबन्ध भी नहीं दिखाई पड़ता है कि सजा जल्द और सख्त मिले। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप की यह मंशा है, और मैं समझता हूं कि यह मंशा हमारी सरकार की है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वह

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

जहां तक हो सके पूरी तौर पर जल्दी से जल्दी दूर की जाय, तो यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा प्रबन्ध इस कानून में करें कि जिस से लोग महसूस करें और इस तरह की भावना सारे देश में पैदा हो जाय कि जो शख्स भी मिलावट का जिम्मेदार समझा जायेगा उस को सख्त सजा होगी और वह किसी तरह से उस से बच नहीं सकेगा।

मैं यह देखता हूं जैसे कि मेरे कुछ और मित्रों ने भी फरमाया कि बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी मिलावटों के जिम्मेदार होते हैं और जो इस मिलावट से लाखों रुपये पैदा करते हैं, उन को कोई नहीं पकड़ पाता है। मैं नहीं कहता कि कभी नहीं पकड़ पाता, लेकिन प्रायः नहीं पकड़ पाता। पर वह भी किसी न किसी बिना पर निकल जाता है। छोटा मोटा आदमी दूध में पानी मिलाये हुए चला जा रहा है उस का चालान कर के इन्स्पेक्टर लोग अपनी एक लम्बी फेहरिस्त बना लेते हैं कि हम ने इतना काम कर लिया। इस तरह का तरीका जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे अफसरान जो इस के चार्ज में हैं इस पर अपना दिल नहीं लगायेंगे कि हम को मिलावट दूर करना है तब तक जैसा कि आज कल सरकार का काम चलता है वैसा ही होता रहेगा। उनका काम साधारण तरीके से चलता है। मुकदमा पकड़ा जाता है, एनालिस्ट के पास भेजा जाता है उस के बाद अदालत में भेजा जाता है। जैसे और मुकदमें चला करते हैं उसी तरह से इस में भी देर लगेगी। अगर इस तरह के मुकदमों को भी देर से चलाना है तो जैसे बहुत से कानून बने और वकीलों की अलमारियों में रक्खे हुए हैं वैसे ही इस कानून की किताबें रक्खी रह जायेंगी और कोई भी असर नहीं होगा। जो चीजें मिलावट से मिलती हैं वह मिलती रहेंगी क्योंकि आप ने देखा है कि इस तरह के मामलों में विशेष प्रबन्ध ही कारगर होते हैं। अगर प्रबन्ध में कमी करेंगे, सिर्फ इन्स्पेक्टर बना देंगे, एक कमेटी बना देंगे, एक एडवाइजरी कमेटी बना देंगे तो एडवाइजरी कमेटी क्या एडवाइज करेगी ? वहां थोड़े से और आदमी सहायक हो जायेंगे तो भी अगर आप चाहें कि स्थिति में सुधार हो जाय, तो यह बात आसानी से होने वाली नहीं है। इस कार्य में इतना गोलमाल है कि इस की कोई दवा हो ही नहीं सकती। जैसा हमारे मित्र झुनझुनवाला साहब ने फरमाया कि हमारे सभापति जी न जाने कितने रोज से बनस्पति और डालडा को ले कर शोर मचाते रहे लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के कानून बनाने के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन आप एक कदम भी आगे नहीं जा सके हैं। इसी तरह से यह कानून भी ठंडा हो जायेगा बावजूद इस के कि हम चाहते हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि कुछ काम हो। लेकिन महज चाहने से कुछ नहीं होगा। सख्ती से काम लेने से ही सफलता हो सकेगी। सारे हमारे लोग यह महसूस करेंगे कि जो जरा भी मिलावट करेगा या जो उस का साथ देगा, या जो उस की सहायता करेगा वह सजा पायेगा। तभी कुछ हो सकता है। जब आप कानून बनाने चले हैं तो यह सोचना कि सजा नहीं देंगे, प्रोपेगेन्डा से इस का प्रिवेन्शन करेंगे, इस से काम नहीं चलेगा। इस में समरी ट्रायल होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा। जो हमारे इन्स्पेक्टरों का मुहकमा है, जहां जहां हमारे मुहकमे कायम हैं उन के इन्स्पेक्टरों की बाबत में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी स्टेटों को तो आप जाने दीजिये, वहां तो सैकड़ों हजारों की तादाद में इन्स्पेक्टर होते हैं। लेकिन आप एक जिले में बैठ जाइये। किसी भी जिले में ऐसा मुहकमा नहीं है जहां ४, ८, १० या २० इन्स्पेक्टर न घूम रहे हों या जरा भी इफेक्टिव रहे हों। मैं नहीं जानता कि कहीं पर भी बहुत अच्छा काम हुआ हो, अगर आप महज इन्स्पेक्टर कायम कर के सोचते हों कि हम कारगर हो जायेंगे तो यह बहुत कठिन है। इन्स्पेक्टर जो आप के हैं वह ऐसे मामलों में आप पर एक और बला ला सकते हैं। मान लीजिये कि उन्होंने किसी का माल पकड़ लिया

और उस को एनालिसिस के लिये रोक रक्खा, मगर बाद में निकला कि इस में कोई खराबी नहीं है तो शायद आप को सैकड़ों रुपये मुआवजा के देने पड़ जायें। तो बहुत ज्यादा इन्स्पेक्टरों के हाथ में यह सब छोड़ देना और समझना कि हम बहुत कारगर हो जायेंगे, यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि काफी जिम्मेदार अफसरान के हाथ में यह काम छोड़ा जाना चाहिये जो कुछ ट्रेन्ड हों, जो कुछ एक्सपर्ट आफिसर्स हों, जो जानते हों और देख सकते हों कि वाकई मिलावट है या नहीं। अगर इन्स्पेक्टर चेक करते हैं तो उन के ऊपर कोई अफसर होना चाहिये और बिना उस की मंजूरी के सारे माल को रोकने का अधिकार न हो। अगर ऐसा न होगा तो जो जल्दी सड़ने बिगड़ने वाला माल होता है उस के लिये बहुत मुआवजा सरकार को देना होगा। और इस तरह का मुआवजा उतने ही गुना देना पड़ेगा जितने कि हम इन्स्पेक्टर कायम करेंगे। इस लिये मैं आप से यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि यह जो इन्स्पेक्टरों का गिरोह बनाया जा रहा है यह बिल्कुल एफेक्टिव नहीं होगा। और मुहकमों के इन्स्पेक्टरों के बारे में भी हमारा तजुर्बा है कि वह एफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। और इस मुहकमे में तो विशेष रूप से ज्यादा जिम्मेदार आफिसरान आपको रखने चाहिएं। सम्भव है कि इंस्पेक्टर का स्टैन्डर्ड आप ऐसा रखें जैसा कि हैल्थ आफिसर का होता है। अगर ऐसा न होगा तो जो जल्दी सड़ने बिगड़ने कारगर हो सके लेकिन अगर आप मामूली इंस्पेक्टरों के स्टैन्डर्ड के आदमी रखना चाहते हैं तो यह कुछ भी कारगर नहीं होगा और यह बेकार जायगा। यह कानून सिर्फ अलमारी में चला जायगा और इसका देश पर कोई असर नहीं होगा और हमको वही चीजें मिलती रहेंगी जो कि आजकल मिल रही हैं और दिन ब दिन बदतर होती जायंगी।

हमारे मित्र गुरुपादस्वामी ने कहा लेबोरेटरीज के बारे में कि लेबोरेटरी बनी यह बहुत इफेक्टिव चीज होगी लेबोरेटरी तो बारीक बात बतलायेगी लेकिन वह आपके प्रबन्ध को नहीं संभाल देगी। इसके अलावा हमको ज्यादा बारीकी में जाने की क्या जरूरत है। हम लोग इसको जानते हैं। कदम कदम पर मिलावट हो रही है। आप एक चीज भी शुद्ध पा जायं तो बतलाइये।

एक साहब ने बात कही डालडा की पूड़ी की और घी की पूड़ी की। डाक्टर रामसुभग सिंह ने कहा कि लोग सस्ती चीज चाहते हैं इसलिए उनको यह चीज मिलती है। अगर ऐसा है तो जो सस्ती चीज है वह अलग होनी चाहिए। जहां मिलावट हो वह साफ जाहिर होनी चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं है और इसलिए जो मिलावट की चीज लेना चाहें उनको वह मिले। लेकिन जो खालिस चीज लेना चाहता है उसको तो खालिस चीज मिले। वह उसके लिए पैसा देना चाहता है। वह उसे बीमार को खिलाने के लिए चाहता है। उसके लिए भी वह खालिस चीज नहीं पाता है। उसे भी मिलावट की ही चीज लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है। इसमें इकानमी का सवाल नहीं है। आज तो हर चीज में मिलावट हो रही है। अब मिलावट का घी और डालडा का सवाल नहीं है। यह कीमत के फर्क और चीपनेस का सवाल नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस सवाल को कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। इस पर गौर करके कानून बनाना चाहिए। मैं ने समरी ट्रायल के बारे में निवेदन किया है। लेकिन वह भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी अगर वह मशिनरी जो कि इस कानून को चलावेगी वह अच्छी नहीं होगी। इसके लिए अच्छे अफसरान रखे जायं और जैसा कि मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया था उनके साथ ऐसे लोग भी एसोशियेटेड हों जो कि इसमें दिलचस्पी रखते हों। इसमें सन्देह नहीं कि जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं उनका ताल्लुक इससे कर दिया जाय तो वह इंस्पेक्टरों की नाक में दम कर देंगे कि इस चीज को इफेक्टिव बनाओ। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जहां ऐसे लोग मिलेंगे वहां यह चीज कारगर होगी। ऐसे लोगों के एसोसियेशन के बारे में इस समय तो मैं कोई सुझाव नहीं दे

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

सकता । लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे ऐसोसियेशन को इस मशिनरी के साथ मिलाया जाय तो सम्भव है कि कुछ फायदा हो । यह कानून इतने दिन लटका रहा । कानून बनाने वाले भी सोचते थे कि क्या बनायें । बनाने को तो कानून बना लें लेकिन उसका क्या असर होने वाला है, इसको बना के क्या करेंगे । इसको सोच के रह जाते हैं । मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार इस पर क्या सोच रही है और किस तरह इसको इफेक्टिव बनायेगी । लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर वह इसको इफेक्टिव बनाना चाहती है तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि वह इसकी मशिनरी के काम करने वालों पर ध्यान दें, कौन लोग इसको चलाते हैं इस पर ध्यान दें ।

मेरा एक और निवेदन है । जो कानून हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के मिलावट के सम्बन्ध में हैं उन पर वह अमल करने की ज्यादा कोशिश कर रही हैं । कांस्टीट्यूशन में यह विषय कानकरेंट लिस्ट में आ गया है । पहिले ही से स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके लिए अपने यहां कानून बनाये हुए हैं । उन कानूनों को वह अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं । इसमें यूनीफारमिटी हो या न हो इससे कोई खास असर नहीं पड़ता और जैसा मैं ने निवेदन किया इस हमारे कानून से यूनीफारमिटी लाने की ही कोशिश की जा रही है, लेकिन और कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है । अब जो आप कानून बना रहे हैं मैं समझता हूं कि इसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनसे स्टेट गवर्नमेंट्स सहमत नहीं हैं । वह अपने कानूनों को ज्यादा अच्छा समझती हैं । और अपने कानूनों पर अमल करना भी वह ज्यादा इफेक्टिव समझती हैं । इस वास्ते हो सकता कि जो आप कानून बना रहे हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स उतने इफेक्टिव तरीके से काम न करें जैसा कि वह अपने कानून पर कर रही हैं क्योंकि इसके बहुत से विषयों से वे सहमत नहीं हैं । इसलिए इस विषय पर भी विचार करना आवश्यक है । मैं ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि कानून बनाना तो एक चीज है लेकिन जो मुख्य चीज है वह उस पर अमल करने के लिए एक अच्छी मैशिनरी कायम करना है ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद---पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का ध्यान मिलावट के बड़े प्रश्न की ओर गया यह स्वागत करने की बात है । आज यह मानी हुई बात है कि जो वस्तुयें हमारे भोजन की हैं या औषधियों की हैं उनमें बहुत गहरी मिलावट हो रही है । कड़े होने की आवश्यकता है । मुलायमियत से काम बहुत नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बड़े गहरे गहरे मक्कार, जो अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए दूसरों को कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं, लगे हुए हैं ।

मुझे बहुत ब्योरे में जाना नहीं है । बहुत से भाइयों ने चर्चा की और लोग जानते हैं कि किस प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं और औषधियों के मामले में आज जाल और फरेब हो रहा है । इसमें धनी लोग भी शामिल हैं । एक समय की बात है, शायद मेरे भाई श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला को याद हो, बहुत वर्ष हुए कलकत्ते में घी का काम करने वाले लोगों के घरों में बड़े सांपों की चर्बी पायी गयी थी । कलकत्ते के पास उड़ीसा है, उड़ीसा में बड़े बड़े अजगर होते हैं, उन अजगरों के चमड़े की जूतियां पहनी जाती हैं । इन अजगरों की चर्बी को इकट्ठा करके बहुत से व्यापारियों ने घी में मिलाया था और वे पकड़े गये । उनकी बिरादरी, मैं ने सुना, बहुत प्रतिष्ठित थी, वैश्य कुल के प्रतिष्ठित समाज के लोग इस काम में शामिल थे । मैं ने सुना कि उनके ऊपर बिरादरी का कुछ दण्ड हुआ । उधर तो रोकथाम हुई परन्तु आज दूसरे प्रकार की मिलावट करने की समस्या हमारे सामने है । आज घी में अजगर की चर्बी मिलाने की शायद बहुत जरूरत नहीं रह गयी इसलिये कि मिलावट के लिये दूसरी चीजें सामने आ गयी हैं । वनस्पति पदार्थ इनमें मुख्य हैं । केन्द्रीय सरकार ने उस वनस्पति

पदार्थों को एक ठीक और उचित चीज मानी है। दूसरी तरफ श्री झुनझुनवाला संसद् के एक सदस्य जो डाक्टर हैं उनकी यह सम्मति रखे रहे हैं कि वह हानिकारक हैं और उसके कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे हैं ।

हमारी सरकार ने बड़े २ व्यापारियों के कथन को और उनके पक्ष में दिये हुए कुछ वैज्ञानिकों के कथन को मान लिया है । मैं जानता हूं कि दो, एक वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है और यह कह दिया है कि इसके प्रयोग से कोई हानि नहीं है, इधर वह वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिकित्सा के काम में कभी कोई अनुभव भी नहीं किया है, यहां एक चिकित्सक का कथन आपके सामने है और मेरा अनुमान है कि यदि चिकित्सकों को अच्छी तरह से इस विषय में कहने दिया जाय तो आपको यह अनुभव होगा कि यह चीज ठीक नहीं है । परन्तु चिकित्सकों को छोड़ दीजिये, पैसे में इतना बल है कि वह चिकित्सकों की राय को पलट देता है और वैज्ञानिकों की राय को भी पलट देता है । मेरा तो यह सुझाव है कि हमारी मंत्रिणी जी ये जो व्यापारी लोग हैं, पैसा पैदा करने वाले लोग हैं, इनके नैतिक स्तर का पुराना अनुभव करके इस प्रश्न को देखें और समझें कि आखिर इस व्यापार में उसी बिरादरी के लोग लगे हैं जो घी में अजगर की चर्बी मिला सकती थी । बिरादरी से मेरा मतलब पैसा पैदा करने वाली बिरादरी से है, वह बिरादरी जो पैसा पैदा करने में नैतिकता को कोई जगह नहीं देती । वह बिरादरी सभी जगह है, येनकेन प्रकारेण किसी भांति पैसा आ जाय यही उनका ध्येय रहता है । यही बिरादरी आज इस प्रकार की वनस्पति मिलों को चला रही है । वनस्पति बनाने अथवा घी के साथ वनस्पति मिलाने में उसको क्या बड़ा पाप दिखाई देगा ? दस, बीस हजार रुपया देकर इसकी राय ले लेना या उसकी राय ले लेना यह कोई कठिन बात इस समय नहीं है ।

मैं मंत्रिणी जी से कहना चाहता हूं कि आज जो आप देश में मिलावट को रोकना चाहती हैं, आपकी इस मनोवृत्ति का स्वागत है, परन्तु आप ऐसा करने के लिये साहस भी तो दिखायें । वह शक्ति अगर आप में हो तो इसे बंद कीजिये, आपकी गवर्नमेंट के लिये यह तो बहुत छोटी चीज है । आपने कानून बनाया, परन्तु अगर आप में साहस हो तो आप इस मिलावट की वस्तु के बनने को रोकिये । मैं उसके लिये आपको गहरी बधाई दूंगा । क्या इसके लिये कुछ और जानकारी की आवश्यक्ता है कि मिलावट चारों ओर हो रही है और वनस्पति पदार्थ घी में मिलाया जा रहा है । अच्छा घी मिलना ही आज एक समस्या बन गयी है । असली घी जनता को सुलभ करने के लिये यह प्रश्न आज से नहीं करीब पन्द्रह वर्ष से सरकार के सामने रहा है कि कोई ऐसा रंग निकाला जाय जो वनस्पति में मिलाया जाय ताकि दोनों में भेद हो सके.....

Mr. Chairman: For the past 29 years.

श्री टंडन : जी, केन्द्रीय शासन सम्बन्धी मेरा अनुभव कम है, आपका अनुभव पुराना है । आपका कथन ठीक है कि यह प्रश्न इतने वर्षों से सरकार के सामने पेश है । इधर थोड़ा सा जो मेरा अनुभव हुआ उसमें मैं ने देखा कि इस प्रश्न के ऊपर सरकार टालमटोल करती है ।

सन् १९५१ में इस प्रश्न को मैं ने उठाया । कांग्रेस की कार्यसमिति के भीतर मैं ने यह प्रश्न उठाया और तब मुझ को यह आश्वासन दिलाया गया कि बहुत शीघ्र इसके लिये यह प्रबन्ध हो जायगा कि वनस्पति में मिलाने के लिये कोई रंग निकल आये और बहुत शीघ्रता के साथ यह चीज सामने आ जायगी । प्रश्न टल गया, इस विषय के जो मंत्री थे, वे बुलाये गये और उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि बहुत शीघ्रता से यह चीज की जायगी । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना इस विषय में उस समय जो मत प्रकट किया था वह कार्य समिति की सन् ५१ की कार्यवाहियों में रक्खा हुआ है । कार्यसमिति के बाद फिर यह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उठाया गया । इस भवन के मेरे कांग्रेस सहयोगीगण ध्यान दें कि यह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के

[श्री टंडन जी]

सामने जब गया तब उसने अपनी राय दी कि बहुत शीघ्र वनस्पति में रंग मिलना चाहिये जिससे कि घी में मिलावट न हो सके परन्तु यदि यह बहुत जल्दी नहीं हो सकता तो उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि वनस्पति पदार्थ का बनाना बंद किया जाय । इस के ऊपर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बल दिया कि जो पदार्थ वनस्पति घी कहलाता है या जिस को अंगरेजी में वैजिटेबल प्रोडक्ट कहते हैं उस का बनना बन्द किया जाय । मुझे को याद है, कांग्रेस के भीतर जो मंत्री थे, हमारे प्रधान मंत्री तथा दूसरे मंत्रिगण ने उस समय इस का विरोध किया था । परन्तु आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने उस को स्वीकार किया और अधिक मत से उस को पास किया । यह आप लोगों को याद होगा । हम लोगों ने समझा था कि जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जो कि मुख्य अधिकारिणी है कांग्रेस नीति की, एक बात तय की है तो अब तो यह गवर्नमेन्ट मानेगी ही । यह सन् १९५१ की बात है । आज सन् १९५४ है । लगभग तीन वर्ष हो गये, न तो वह रंग ही आज तक आया है और न उन व्यापारियों के माथे पर इस सन्देह में कि शायद वनस्पति बन्द होगा कोई शिकन आई है ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग—पश्चिम): और न आयेगी ।

श्री टंडन : कहीं कोई चर्चा इस पदार्थ के बन्द करने की नहीं है ।

श्री बंश लाल शर्मा (सीकर) : शिकन मिनिस्टरों के चेहरे पर आ गई है ।

श्री टंडन : हमारे यहां बराबर विज्ञान की शालायें खुलती चली जा रही हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये । हमारे देश में रासायनिक प्रयोग बहुत हुए हैं और बराबर बढ़ रहे हैं, गहरे विषयों पर । परन्तु आश्चर्य होता है कि इस छोटी सी बात के लिये कि कोई रंग मिल सके कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ । कलकत्ते में हमारे गांधी जी के भक्तों में से एक हैं, उन्होंने एक रंग सामने रक्खा भी और स्पष्ट जान पड़ता था कि वह कुछ काम करेंगे । सम्भव है कि उस में कुछ त्रुटि रही हो, परन्तु वह सरकार के देखने की बात थी । फिर भी उस रंग को गवर्नमेन्ट ने नहीं चलाया । उन साहब ने.....

सभापति महोदय : श्री सतीश चन्द्र दास ।

श्री टंडन : श्री सतीश बाबू ने तो रंग सामने रक्खा । लेकिन जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेन्ट ने, यह कह कर कि यह ठहरता नहीं है, उस को स्वीकार नहीं किया । यदि आप के पास कोई अच्छी वस्तु नहीं क्योंकि चारों ओर जो आप के इतने वैज्ञानिक हैं वह कोई रंग नहीं निकाल सके तो आप कम से कम इस का प्रयोग तो कर के देखते ताकि सब की समझ में आता कि आप में सचाई है । नहीं तो ऐसा मालूम होता है, मेरे हृदय पर यह भावना है, कि यह बात टाली जाती है और उस के बारे में आप में सत्य पक्ष की भावना नहीं है यह भावना नहीं है कि हम इस मिलावट के क्रम को बन्द करें ।

श्री गिडवानी (थाना) : सत्य भावना न होने का कारण ?

श्री टंडन : उस में मुझे जाना नहीं है । कारण सम्भवतः यह है, मंत्रियों के दिल में एक बात धंसी हुई है कि यह चीज शुद्ध है, इस से कुछ हानि होने वाली नहीं है । मैं इस भावना को स्वीकार नहीं करूंगा जिस की ओर माननीय सदस्य का शायद संकेत है कि उस में कोई बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का पैसा काम कर रहा है ।

श्री जी० जी० देशपांडे (गुना) : वह भी हो सकता है ।

श्री टंडन : प्रभाव तो काम कर सकता है परन्तु यह मेरी भावना है कि उन के मन में ऐसा विश्वास है कि इससे हानि नहीं है और इस लिये उन्होंने इस को महत्व नहीं दिया है । मैं इस को अनुचित मानता हूं । यह चीज ठीक नहीं है । इसके लिये थोड़े साहस की

आवश्यकता है । मैं जानता हूं कि बड़े बड़े व्यापारी लोग इस काम के विरोध में हैं कि उन के व्यापार में कुछ भी रोक थाम हो । इस व्यापार से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है वह उन के लिये गौण बात है । उन के लिये पैसा मुख्य है, स्वास्थ्य गौण है । मंत्रिणी जी के लिये तो स्वास्थ्य मुख्य होना चाहिये, पैसा गौण होना चाहिये । देश का स्वास्थ्य संभले इस के लिये मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस वालों को अपने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन पर बल देना चाहिये । मुझ को मालूम है, मैं ने सुना था, कि कुछ मंत्रियों ने इस प्रकार की बात कही थी कि यह रेजोल्यूशन तो पास हो गया परन्तु हमारे चलाये चलेगा नहीं । वर्किंग कमेटी और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मत साधारण रीति से ले लिया जाता है सरकारी नीतियों को चलाने के लिये, उस का सहयोग पाने के लिये । लेकिन जहां पर बहुमत एक काम के पक्ष में है और आप चाहते हैं कि दूसरा काम किया जाय, वहां पर आप ने उस बहुमत को बरका दिया ।

मुझ को अधिक नहीं कहना है । केवल इतना निवेदन करना है कि यह अधिनियम या कानून जो बन रहा है, यह कुछ ही दूर जा सकता है । लेकिन अगर यह मालूम हो बड़े बड़े व्यापारियों को, जो कि उत्पत्ति करने वाले हैं, मिल मालिक हैं, कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया किसी ऐसी वस्तु को सहन नहीं करेगी जो कि स्वास्थ्य के विरुद्ध है तब मिलावट के अपराध में रोक थाम हो सकेगी । यह चीज ऐसी है कि इसके प्रमाण के लिये किसी ऐनालिसिस की जरूरत नहीं है । स्पष्ट बात है कि यह फैला हुआ अपराध है, इस को रोकने के जो साधारण उपाय हैं उन को आप न करें तो आप के इस कानून की मनशा पर सन्देह होता है । इस कानून को पास कर के क्या आप केवल दिखाना चाहते हैं कि हां हम ने खाद्य मिलावट को रोकने के लिये कानून बना दिया । एक विष सामने है, यह बहुत बड़ा और व्यापक विष है । इस को रोकिये । अगर आप समझते हैं कि यह आप की शक्ति के बाहर है कि आप इस के लिये रंग निकाल सकें तो आप इस का बनना बन्द कर दीजिये । गरीबों के लिये शुद्ध तेल का खाना अच्छा है । केवल गरीब अमीर की बात नहीं है । शुद्ध तेल से सस्ता या अधिक पोषक वनस्पति नहीं है । तिल्ली का तेल हो, या ससों का तेल या मूंगफली का तेल हो । जो शुद्ध पदार्थ हैं, जो जमाया हुआ नहीं है, जिस में हाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ है, जिस में निकल का प्रयोग नहीं किया गया है खाने के लिये वह अधिक ठीक है, उसे चलाइए । लेकिन जिस प्रकार से निकल या दूसरी चीजों का प्रयोग कर के हाइड्रोजिनेशन होता है और वह जमी हुई वस्तु घी के नाम पर चलती है वह स्पष्ट छल है । आप यह कह सकते हैं और हो सकता है कि कहा जाय कि तेल में महक है । महक तो हटाई जा सकती है । आप महक हटा कर के तेल बेचें, लेकिन उस को जमाने का जो कार्य है उस में विष उत्पन्न होता है, इस को आप न होने दें । इतना करना कोई कठिन बात नहीं है । कुछ भाई कहते हैं कि इस वनस्पति में घी की शक्ल आती है तो इस में क्या हर्ज है ? यह घी की शक्ल देना भी तो एक छल है । इस कपट जाल को आप रोकें । और इस प्रकार से देश का नैतिक उत्थान कर के देश के स्वास्थ्य की रक्षा करें ।

Shri Lokenath Mishra (Puri): I wholeheartedly support this measure because I feel that this is one of the most useful socio-economic measures that this Parliament has yet to discuss, but it is regrettable that the House does not take this measure as seriously as it ought to (*Some Hon. Members*: How?).

We know that adulteration is prevalent everywhere and in all sorts of food, and there is nowhere to be found a single item of food that can be taken as pure. As such, national health is going worse, and a government that is supposed to be at the head of welfare state has not yet taken pains to remedy this all-pervading evil. This is a measure that is supposed now to remedy that all-pervading evil, but I

[Shri Lokenath Mishra]

am sure that, as it is framed, it does not meet the needs of the time. I am afraid I have to implore the hon. Minister to see that this does not at least prove to be a measure that is much ado about nothing. I beg to say that, as the hon. Members have said, anyone who reads this Bill and looks at the administration side of this Department—I do not say the Food Department but the administration concerned with prevention of adulteration—will find that there is a lack of seriousness and earnestness about it. That would be found from the Bill itself. I would refer to clauses 12 and 20 of this Bill. Clause 20 says that any purchaser can send any food for public analysis, at his own cost. But, at the same time, clause 20 says that he has no right to prosecute the offender for the offence. I do not really understand why private purchaser should take the trouble of sending this adulterated food for analysis, and even when it is found to be bad, he will have no right to prosecute the offender. It may be that allowing any private person to prosecute a man for such an offence may lead to miscarriage of justice. But I do not think so. This Bill presupposes that the Government is equal to the task, can take every effective step, through its own machinery, to curb this evil. But the way the machinery has been framed does not breathe that amount of sincerity and earnestness which is required for eradication of this evil. The Bill says there will be a national laboratory for food. This is a very highsounding word. But what actually is food for the common man? It is rice or wheat, a little oil or ghee and vegetables. Vegetables fortunately cannot be adulterated. Rice cannot be adulterated. Wheat cannot easily be adulterated.

An Hon. Member: Why not?

Shri Lokenath Mishra: It cannot be adulterated in the sense that only very little can be adulterated. But the two most important items—that is oil and milk and milk-products are the items of food for the common man which are easilly adulterated. As many hon. friends have said, and as Mr. Tandon has very emphatically said, where is the earnestness of the Government? All through these times, during the scientific age, they have not been able to give even colour to this *vanaspati*. That is a source of adulteration. Does it not prove that the Government has either not made up its mind about the good side or bad of this *vanaspati* or, having known them, they have not the courage or the earnestness or the capacity to deliver this amount of good to the country? I was surprised that in my own constituency, in the Puri College, some people had gone as agents of this *vanaspati* to prove to the students that *vanaspati* is an ideal food. I wonder how, in the year 1954 votaries or advocates of *vanaspati* could go round colleges preaching to students that *vanaspati* is an ideal food. If this could not be banned, if to that extent the Government have not made up their minds, we cannot easily bring ourselves to believe that Government is serious about it. I therefore humbly suggest to the hon. Minister that most immediate steps should be taken either to put *vanaspati* entirely out of the market or to colour it in such a manner that it cannot be mixed up with anything else without being detected.

Then again, apart from the machinery of Government, apart from the Government laboratories, every private individual ought to have the right to prosecute any person who has offended against this measure. What is the harm if I go to a market and purchase a thing which is suspected to be adulterated and I send it to the laboratory for analysis and I get the report that it was bad? What is the harm in giving me the right to prosecute that man? Who can prosecute, as it is only the Government or any local authority can do it. But we know what a local authority is. A local authority means a Food Inspector getting about Rs. 100—a little

more or a little less. We know what they do. They simply go and catch hold of the small fries. If they are able to extract some money from them, they leave them; if they do not get any money they prosecute them. How does the poor man know that adulteration of foodstuffs is a bad thing? Therefore as soon as this measure is passed, there should be a nation-wide campaign, a much more ruthless, a much more vigorous, a much more powerful campaign than the General Election campaign, to make the people understand that adulteration of food is a crime, it is a crime more serious than the murder of a man. (*An hon. Member*: Than even adultery). I would, therefore, say that soon after this measure is passed, Government should not only set up the machinery to implement it, but should carry on a regular campaign, an organised campaign with the help of officials and non-officials, with the help of local self-governing bodies and with the help of patriotic *lok sevakas* and thereby in a month or two root out all those persons who are responsible for this. I can say they are not many. I was just now speaking of oil and *ghee*. These are manufactured wholesale by big mill owners. They are few. They could be easily caught, provided we have got the sincerity to catch them. There should be a nation-wide campaign. We should impress upon the people that these people are murderers: they are the enemies of the country. If this fact is known and everybody feels that such persons should be hated and should be punished, we can easily change the atmosphere and make the task of Government in enforcing this measure easier. By sheer officialdom, by sheer legislation, we cannot remove an evil which is rampant everywhere.

I beg of the Health Minister to ponder for a moment. Can she point out a single item of food in a single locality which she can honestly say is fit for human consumption? Even in the heart of Delhi you cannot be sure whether the *ghee* you purchase is pure, or the oil you purchase is pure. If that is the state of affairs in the capital of the country, where the Health Minister is present, where all the Ministers live, where all the big people live, the condition in the villages could as well be imagined. Therefore, this most important socio-economic measure should be handled with the utmost care and utmost earnestness legislation by itself will not serve the purpose we have in view.

Lastly, I would request the hon. Health Minister to explain to me why a prosecution to be launched under this Act should have the sanction of the Local Government. I do not understand it. If I feel offended, if I am injured by taking or purchasing adulterated food, have I not got the right to prosecute the man? It is only because Government wants to have all the power, that they do not want to part with it. And having taken all the power they are not capable of exercising it. I as a private individual am not given any power, because to that extent the power of the Government is curbed. If this measure is to succeed, every private individual must have the right to prosecute an offender and only when such power is given will necessary tempo be created in the country.

Then again the machinery envisaged in this Bill is a very cumbrous one. The sample will first go to the analyst, then it will come back in the process of trial of such cases there will be long delays. There are many loopholes for offenders to escape. I submit that the machinery for trial should be such swift and speedy and for that all technical rules of evidence must be done away with, because this is a national emergency measure. If to that extent even the measure becomes undemocratic, we would rather accept it than have a democratic measure which would allow traitors to the people to escape with the help of clever lawyers. I humbly submit these things to the hon. Minister. I know her earnestness I know that

[Shri Lokenath Mishra]

she wants to stand or fall by this. Food is the concern of all the parties; it is a thing which concerns everybody. It is much more important than the Special Marriages Act because we must have food before we marry. Therefore, I am glad that this measure has been brought but merely putting it in the statute-book will be of no avail; it will be much ado about nothing. Therefore, I say that there must be a nation-wide organisation. There must be seriousness in the Government machinery. We should see that in the course of one year, this evil of adulteration is entirely rooted out and then will be the time to congratulate the hon. Health Minister because by this simple Act she will add to the health of the nation by about fifty per cent. When this is done—it should be done early—there will be much improvement. You have to tackle only three or four items of food because we do not care for imported food from the big factories. These individual items of food are very few. Ours is a poor country and we do not require more items of food. If we can handle the matter in the right manner with reference to these two or three points, I am sure it will be a great success and hon. Minister will earn the gratitude of the nation—a nation that is starving and under-nourished not only for want of food but for want of good food. We know that good food is always simple. It is useless to hope for bigger things if this sovereign Government is unable to tackle these few items. I, therefore, support this Bill with these remarks and again earnestly request the hon. Minister to rise equal to the occasion and to organise both officially and non-officially a nation-wide campaign to root out this evil in as short a time as possible. That time is a year and we should have a report within a year on how far she has succeeded in rooting out this evil, how many offenders she has brought to book and what has been the overall effect of this legislation.

Several Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: Shri Dabhi.

Shri Nand Lal Sharma: Is there some way of catching the Chair's eye.

Mr. Chairman: Through the atmosphere.

Shri Dabhi (Kaira—North): I rise to support the motion moved by the hon. Health Minister. It would be admitted on all hands that food adulteration, especially adulteration in ghee and oil, is going on and adulteration of milk is also going on, on a large scale in the country and there is no sign of decrease in spite of the existence of several anti-food adulteration Acts in the various States. There would also be no difference of opinion that adulteration of food is a very serious anti-social act and should be suppressed with a heavy hand. I will give you only a few instances to show the extent to which food adulteration is going on in the country.....

Mr. Chairman: May I just request the hon. Member not to refer to all these matters which were referred to when the Bill was sent to the Select Committee? I am referring to these examples which the hon. Member is giving. There are many hon. Members who are anxious to speak. There is a long list. I will request him to come to the point and be brief.

Shri Dabhi: I was not repeating.....

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur Distt.—South): Is that list before you? You have just said that there is a long list.

Mr. Chairman: Long list does not mean a printed list. It is just my own, made by me. I know that many hon. Members are anxious to speak; they have sent chits to me. There is no other list.

Shri Sinhasan Singh: May I know if you are already maintaining a written list?

Mr. Chairman: I have already stated that there is no other list. The list is the one prepared by me in consequence of the chits that have been received by me and also by my observing that so many hon. Members are standing. There is no other list; it is only a mental list.

12 NOON.

Shri S. S. More: For the sake of convenience we might send chits, but I take it that sending in chits is not a condition precedent to catching your eye.

Mr. Chairman: The hon. Member fully knows that it is not.

Shri S. S. More: I am only repeating it.

Mr. Chairman: He knows it fully. The sending of chits is no guarantee of being called, and others who do not send chits will not be ignored.

Shri Ramachandra Reddi (Nellore): May I know whether this discussion will go on tomorrow also or whether it will be finished today?

Mr. Chairman: It is going on now. I for one cannot say whether it will go on tomorrow.

Shri Dabhi: I will give you only one or two important and salient instances to show to what extent food adulteration is going on in this country. I shall quote one instance of adulteration of milk. I shall read a few sentences from a note under the caption "Problem of Food Adulteration—No marked drop in offences" written by the Staff Correspondent of the *Hindustan Times* and published in its issue of 25th April, 1954:

> "The problem of food adulteration has been causing some concern to the Health Department of the New Delhi Municipal Committee.
>
> According to a spokesman, nearly 50 per cent. of the food (especially milk and butter) sold by hawkers is adulterated.
>
> The sanitary inspectors of the N.D.M.C. have often to chase milkmen on the roads before they can be persuaded to get the milk examined. But milkmen have become more careful now. They adulterate the milk not at the dairy before taking it out but often mix water from the customers' own taps!"

This is the way in which adulteration is going on.

Then I would give another instance of how oil is adulterated. What havoc is being created by adulteration in other articles of food will be clear if I read a few lines, again from the *Hindustan Times* dated 30th August, 1953. It is a P.T.I. report from Ahmedabad, dated 29th August:

> "That argemone oil was the primary cause of epidemic dropsy which had affected about 1,000 people and caused six deaths in Nadiad was announced by the Department of Post-graduate Studies and Research, V.S. Hospital of Ahmedabad (already reported in part)."

I come from that very town, Naidiad, and I myself know that several people died afterwards due to the adulteration of this oil.

I shall give yet another instance. People think that all other things are being adulterated but *vanaspati* about which several things have been said by our revered Shri Tandon, is thought to be never adulterated. Even he might be thinking like that. Therefore I would cite only one instance to show that not only other things but *vanaspati* also is adulterated.

"*Vanaspati* also Adulterated" is the heading of a note from the *Harijan* of 19th August, 1950. I shall read a few lines from it:

> "The *Hindustan Standard* of Calcutta, in its issue of July 27, 1950, refers to a 'criminal case recently disposed of in Calcutta in which a dealer in *vanaspati*

[Shri Dabhi]

was convicted for selling adulterated stuff'. Commenting upon this, it says,

> 'It appears that the adulteration in the particular form that figured in the Calcutta case was done in the factory itself according to a design in the formulation of which some scientist's brain must have made its proper contribution'."

So, you will see that in this Act of adulteration the scientist's brain is being employed. Revered Tandonji has been convinced by this very report. Under these circumstances, I do welcome especially certain amendments made by the Select Committee relating to the punishment being made heavier and more deterrent. Now, I would only make a few suggestions with a view to improving the Bill. You will see that in clause 2(ix) it is stated that an article of food shall be deemed to be misbranded. I welcome this clause because under certain names people are being cheated and one of the names employed is *'vanaspati ghee'* making it appear that it is real *ghee*. Therefore, my suggestion is that it must be made clear that *vanaspati* is a hydrogenated oil. It is given the patriotic name *'Ghee'*. Because it is a counterfiet *ghee*, this must be made clear. I have given an amendment and I shall speak tomorrow on that point when I come to my amendment.

Then again, Sir, there is another section 2(ix) (e) which states that if false claims are made for it upon the label or otherwise especially with regard to such statements as 'that it works miracles and all these things', then the people are being cheated. So my suggestion which I have embodied in my amendment is that when a manufacturer or any seller of this article or food makes any claim that it is a wholesome, it will do miracle, the burden of it must lie upon them in the matter of the sustenance of the qualities which have been claimed by them.

Then, Sir, I come now to clause 16. You will see from the amendments that have been made by the Select Committee that the amendments make the penalty provided in clause 16 very deterrent; but then, with regard to that clause also I have suggested certain amendments. I should refer to one point with regard to this clause 16 and the amendment suggested by me. You will see from the amendments made by the Select Committee and if you compare those amendments with the provisions in the original Bill that the intention of the Select Committee is that after the first offence is committed not only the culprit is visited with punishment of fine or imprisonment but he should be punished with both fine and imprisonment. You will see that the wording under section (g) in clause 16 is that for such and such a thing he shall be punishable. Now I want that instead of the word 'punishable', the word must be 'punished' and for this I would refer to the hon. Health Minister to one reported case of the Bombay High Court.

Mr. Chairman: You request the hon. Minister to make these amendments.

Shri Dabhi: I am only referring to these now. I would refer however here to AIR 1949 Bombay 41, a full bench decision. There, she will find that if it is not changed into 'punished', there would be option for the magistrate not to award both fine and imprisonment as punishment. I do not want to take up the time of the House; I shall speak on this in detail when I come to my amendment.

I would like to have clarification on one or two points. In clause 9, there is the question of the appointment of the Food Inspectors. It is stated there that these food inspectors will have the qualifications prescribed. You know Sir, that the success of this

Bill depends practically upon the competence, impartiality and integrity of the Food Inspectors. So, my suggestion to the Government is that they must indicate what the qualifications of these Food Inspectors will be. Unless the qualifications and the salaries are high, they would be tempted to take bribes. We know that although the Food Adulteration Act is in force in several States, because of the incompetence and non-integrity of these food inspectors, it has not become a success, as it ought to have been. Government will be well advised to do this and I request the hon. Health Minister to say here what the qualifications of these inspectors will be.

There is another point of clarification with regard to clause 12. There is a proviso here which says:

> "Provided that such purchaser shall inform the vendor at the time of purchase of his intention to have such article so analysed:"

It is stated that the purchaser will have to inform the vendor at the time of the purchase. If anybody tells the vendor that he is buying an article for getting it analysed, because he has a suspicion, he will never sell the article to him. I do not know what the intention is. He can send the article to the analyst and if there is adulteration, the vendor could be prosecuted. If that is the intention,—I think it is—the phraseology here may be changed.

Mr. Chairman: There is no provision in the Act to that effect.

Shri Dabhi: Afterwards, if it is found that there is adulteration, Government can also proceed. The man himself may not proceed; but the Government is bound to take action against the man.

I am also of the opinion that even after the passing of this Act, one cannot hope that the food adulteration which is going on on such a large scale will be obliterated or rooted out. But, at the same time, I am sure that if the Government takes serious steps to see that this Act is properly administered by competent authorities, it will go a long way at least in decreasing to a large extent the adulteration that is going on at present.

Mr. Chairman: Sardar Gurmukh Singh.

Shri S. V. Ramaswamy (Salem): The Chair has not been looking, has not been pleased to look, to the extreme right for a long time.

Mr. Chairman: I have been looking this side also but did not find the hon. Member in his seat for a long time.

Shri S. V. Ramaswamy: I am so sorry.

گیانی جی- ایس- مسافر (امرتسر): سبھاپتی جی ! اس میں شک نہیں کہ یہ جو بل اس وقت ہاؤس کے سامنے زیربحث ہے یہ ایک بڑا اہم بل ہے - اس پر ہمارے دیش کی بنیادی ترقی بہت حد تک منحصر ہے - میں برسوں ہی بعض یوروپ اور ایشیا کے ملکوں کو دیکھ کر واپس آیا ہوں -

Mr. Chairman: Louder please.

Shri B. K. Chaudhuri (Gauhati): Has the hon. Member lost his voice in Europe?

گیانی جی - ایس - مسافر : تو یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جب میں واپس آیا اور دوست ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا فرق دیکھا - اس کے متعلق میں ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پارلیامنٹ کے ممبران نے اور محترمہ منسٹر صاحبہ نے مجھ سے زیادہ ملک دیکھے ہیں - میرا تو یہ

[گیانی جی۔ ایس۔ مسافر]

پہلا موقع تھا - انہوں نے تو دوسرے ملکوں کے کئی دورے کئے ہیں - یقیناً وہ ان باتوں کے متعلق مجھسے زیادہ جانتی ہونگی - صرف ایک بات میرے سامنے تھی کہ اگر دو تین باتیں ہمارے دیش میں جلدی سے ہو جائیں تو جو ہمارے نیچرل ریسورسیز ہیں -- جو ہمارے ذرایع ہیں جو ہمارے دیش کی حالت ہے - ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا دیش کسی سے پیچھے نہیں ہے - بیشک کئی دوست پروجیکٹس کے ساتھ جاتے ہیں - ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جلدی ہی اپنی رائے بھی بنا لیتے ہیں کہ ہم میں یہ کمزوری ہے - اور آپ تو بڑی دور تک پہونچے ہوئے ہیں - کئی باتوں میں یہ ٹھیک بھی ہے - مثلاً ابھی جو مسئلہ ہمارے زیرغور ہے - میں نے سویڈن میں اسٹاکہالم میں ایک بھائی سے پوچھا کہ یہ چیزوں کی ملاوٹ کے متعلق آپکے دیش کی حالت کیا ہے اور ملاوٹ کرنے والے کو کیا سزا ہے - تو مجھے شرمندہ ہونا پڑا - اس نے کہا کہ آپ اس بات کے متعلق مجھسے پوچھ رہے ہیں جو ہمارے دیش میں ہے ہی نہیں - اس لئے اس کی سزا کے متعلق میں آپ کو کچھ نہیں بتلا سکتا - تو اس کے بعد ہم تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے - اور پھر کوئی بات پوچھتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں ایسا ہی جواب نہ ملے- پھر جہاں جہاں ہم یوروپ میں گئے ہم دیکھتے رہے مگر پوچھنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ایڈلٹریشن کی بات زیادہ تھی - اس بات کو ہم اپنے یہاں روز روز سنتے ہیں - ایسے ایسے فوڈ ایڈلٹریشن کے معاملے ہم نے دیکھے اور سنے ہیں جن یہاں ذکر کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہاں کہی ہوئی بات دور تک چلی جاتی ہے - دودھ میں ایسی ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے کہ جن کا یہاں ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں - جیسے گندا پانی اور جوہڑ کا پانی تو ہمنے دودھ والوں کو ملاتے دیکھا ہے - ہمارے یہاں ایک پرسدھ کہاوت ہے کہ کسی مالک نے اپنے نوکر کو آدھ سیر دودھ لینے کو بھیجا - نوکر نے آدھا دودھ پھینکر اس میں آدھا جوہڑ کا پانی ملا دیا تو اس میں کہیں سے ایک مینڈھکی بھی آ گئی - جب مالک نے پوچھا کہ یہ مینڈھکی کہاں سے آ گئی تو اس نے کہا کہ آدھ سیر دودھ میں کیا ہاتھی آ جانا - کوئی بھی کہاوت جو بنتی ہے وہ کسی بنیاد پر بنتی ہے - تو میں اس کہاوت کو چھوڑتا ہوں - میرے ایک دوست نے بتلایا کہ ایک خاندان کا بزرگ بیروزگاری سے تنگ آ کر بازار سے سنکھیا خرید

لیا - یہ صحیح بات ہے کہ وہ سنکھیا کھلا کر اپنے پریوار کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا - تو کہتے ہیں کہ جب گھر جا کر رات کو ان سب نے سنکھیا کھا لیا اور بچوں کو بھی کھلا دیا کہ ختم ہو جائیں - تو انتظار کرتے رہے کہ اب مرتے ہیں - اب مرتے ہیں - مگر صبح تک زندہ ہی رہے - یعنی سنکھیا بھی ملاوٹ والا تھا - اس لئے اس سے ان کی موت واقع نہیں ہوئی - یعنی ملاوٹ میں ہم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سنکھیا بھی ہمیں ملاوٹ کا ہی ملتا ہے - تو میں نے دوسرے ملک کی مثال دی تھی کہ اس معاملے میں ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے -

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : यूरोप में पालिटिक्स में मिलावट है ।

گیانی جی - ایس - مسافر : پالٹکس کی ملاوٹ تو پالٹکس سے دور ہو سکتی ہے - لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ تو ہمارے دیش میں سب سے زیادہ سزا کے قابل ہے - قتل کے جرم میں سب سے بڑی پھانسی یعنی موت کی سزا ہوتی ہے - اور کسی جرم میں اتنی سزا نہیں ہے جتنی قتل کے جرم میں ہے - مگر جو فوڈ میں ملاوٹ کرتے ہیں یہ قتل سے کم نہیں ہے - میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایک روز مار دینا یا قتل کر دینا اس سے اچھا ہے کہ روز روز بری خوراک دیکر اس کی صحت خراب کرکے اسے مرنے کی حد تک لے جانا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے - اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ یہ بل جو ایک قانون کی شکل لے رہا ہے - اس پر جلدی سے اس ڈھنگ سے عمل کیا جائے کہ یہ بیماری ہمارے دیش سے دور ہو جائے -

پنجاب گورنمنٹ نے اس بات کا تجربہ کیا ہے - وہاں انہوں نے اس کو دور کرنے کے لئے سمری ٹرائل کئے ہیں - تو وہ کچھ افیکٹو بھی ہوئے ہیں - میں سمجھتا ہوں کہ کو اس طرح کا کوئی اسپیشل ایکشن لینا چاہئے جس سے بہت جلد اس طرح کے جرم کم ہوں - میں نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے اور دوسری جگہ بھی دیکھا ہے کہ جو انسپیکٹر چیک کرنے کے لئے جاتے ہیں - وہ اس ڈھنگ سے چیک کرتے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والوں کو اس سے اینکریجمنٹ ہی ملتا ہے - انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا - ان کا مائنڈ اس طرف اور چلتا ہے - یہ انسپیکٹر لو پیڈ ہوتے ہیں - اس لئے یہ اس کا اچھا علاج نہیں ہے -

دوسری بات وہ جو کہ ٹنڈن جی نے کہی تھی - پنجاب میں

[گیانی جی- ایس- مسافر]

باتیں ایسی بگڑ جاتی ہیں- جیسے کبھی کبھی کسی پھوڑے کا اپریشن کرکے جسم سے اس کا نکالنا ضروری ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بڑا تیز نشتر لگانا پڑتا ہے تا کہ سارے جسم میں زہر اور بیماری نہ پھیلے اور اس وجہ سے اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے اسی طرح سے یہ ملاوٹ کرنے کی بیماری ہمارے دیش میں گھر کر گئی ہے کہ جس کو اب سختی اور زور سے نکالنا بہت ضروری ہے - ایک صاحب نے تھوڑا سا لیبوریٹریز کا ذکر کیا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو نہیں روک سکتیں - لیبوریٹریز سے بھی کام نہیں چلیگا - دودھ والوں نے ایسا طریقہ نکالا ہے یعنی کچھ ایسی چیزیں نکالی ہیں جن کے ڈال دینے سے جب دودھ ٹیسٹ ہونے کے لئے جاتا ہے تو جانچ کا میٹر صحیح نتیجہ نہیں بتلاتا - اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہائی پیمانے پر جگہہ جگہہ جانچ پڑتال کی جائے اور جرم کرنے والوں کو سزا دی جائے اور جب لوگوں کو سخت سزائیں ملنا شروع ہو جائینگی تو میرا خیال ہے کہ اس کا علاج بہت جلدی ہو جائیگا - اس کے علاوہ ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہئے جس سے ایک ہی روز میں ایک وقت پر دودھ یا کسی اور چیز میں ملاوٹ کرنے والوں پر اچانک

ایک کہاوت ہے کہ برے کی بھلائے برے کی ماں کو مارو - برے کو مارنے پر اتنا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا - اچھا نتیجہ تب نکلتا ہے جب کہ برے کی ماں کو مار دیا جائے - تاکہ برائی پیدا ہی نہ ہو - یعنی جہاں سے برائی نکلتی ہے اس جگہہ کو ہی بند کرنا ضروری ہے - ہمارے دیش میں ایڈلٹریشن کا ایک علیحدہ پروڈکشن ہو رہا ہے - ہمارے دیش میں ایڈلٹریشن کے بڑے بڑے کارخانے خفیہ طور پر موجود ہیں جہاں سے چیزیں ملاوٹ ہو کر دوسری جگہوں پر جاتی ہیں - سزا بیشک کسی چھوٹے سے دکاندار کو مل جاتی ہے - لیکن اگر آپ اچھی طرح سے انکوائری کریں تو آپ کو پتہ لگیگا کہ یہ ایڈلٹریشن تو اوپر سے ہوتا ہے - اور اس کی سزا پاتا ہے وہ چھوٹا دکاندار جو اس کو بیچ رہا ہے - یعنی ان سورسیز کو بند کرنا چاہئے - بڑی تیزی سے - بڑی بے لحاظی سے اور بڑے زور سے ان چیزوں کو بند کرنا چاہئے - میں بنا سنکوچ کے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پریرنا کا طریقہ ٹھیک ہے- ہماری گورنمنٹ زور کا یا دھکے کا یا سختی کا طریقہ استعمال نہیں کر رہی ہے - وہ پریرنا کا طریقہ استعمال کر رہی ہے - یہ پریرنا کا ہمارا طریقہ ٹھیک ہے - مگر بعض

ریڈ آرگنائز کیا جائے اور انہیں پکڑا جائے - ایک ہی دن میں سب پر ریڈ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقعہ نہ مل سکے - کہ وہ اس میں کچھ چالاکی کر سکیں - ایسے تعفنگ سے اس کا انتظام کیا جائے -

ایک بات اور کی جانی ضروری ہے کہ وہ شخص جس کو اس جرم میں تین دفعہ سزا مل چکی ہو اگر وہ پھر ملاوٹ کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے اس ویپار سے بالکل الگ کر دینا چاہئے اور اسے اس بات کی اجازت نہیں ہونا چاہئے کہ وہ کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اس ویپار میں شامل ہو - ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا خیرمقدم کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس بل کو اور بھی اچھا اور مفید بنا کر اس ہاؤس میں پاس کیا جائے -

[*English translation of the above speech*]

Giani G. S. Musafir (Amritsar): Mr. Chairman, the Bill under discussion at the moment is, no doubt, a very important Bill. The basic progress of our country depends to a large extent on it. I have only recently returned after touring some European and Asian countries.

Mr. Chairman: Louder please.

Shri R. K. Chaudhri. (Gauhati): Has the hon. Member lost his voice in Europe?

Giani G. S. Musafir: It was but natural that on my return my friends saw me and asked me to tell them the difference between those countries and ours. I would like to submit in this connection that the honourable Members of the Parliament and the hon. Health Minister have seen a large number of foreign countries than I have. Mine was the first opportunity to go abroad, while they have toured foreign countries many a time. The hon. Minister must positively be knowing about all these things more than I do. I had only one thing in my mind. *viz.*, our country does not lag behind other countries if our sources and natural resources are exploited and the general condition of our country is toned up. There are, no doubt, some people who go there with a prejudiced mind, look round and all at once form an opinion that we are weak in such and such a thing. You have travelled very far. This opinion of theirs is correct in some matters, *e.g.*, the problem under consideration of the Sabha. I enquired of a man in Stockholm the state of affairs with respect to food adultration there and the punishment given for that. I had to feel ashamed. He told me in reply that he was being asked about a thing which was not at all present in his country, and he was not in a position to say anything about the punishment for such an offence. We had to be careful in our later enquiries lest we would get such replies. We moved to other places in Europe and saw things there, but had no courage to ask for anything as we were obsessed with this very problem of adulteration. Here in India we hear about it everyday. We have seen so many types of food adulteration cases and heard so much about them that it is simply shameful to mention them here as the things spoken here on the floor reach very far. I do not deem it proper to make a mention of the things how milk is adulterated: We have seen the milkmen mixing dirty water and pond-water with it. A well-known saying in our parts has it that some house-holder sent his servant to fetch half-a seer of milk. The servant drank off half the weight and mixed the equal amount of pond-water with

[Giani G. S. Musafir]

it. It so happend that a small frog also went into the milk-pot. The householder questioned about the presence of the frog and got the reply that half-a-seer of milk could accommodate only a frog and not an elephant. There can be no saying unless there is a basis for it. Let me not dwell on it for long. One of my friends told me that an elderly man of some respectable family, sick of unemployment as he was, brought some arsenic from the market. This is a fact that he wanted to put an end to his family by giving that arsenic. It is said that they all, including children, took arsenic late in the night with the intention of seeing an end to their lives ad awaited their death. They lived upto the following morning. It can be imagined that even arsenic could not be effective to kill them as it was adulterated. What I mean to say is that we have advanced so much in this art of adulteration that even arsenic cannot be had unadulterated. This was the example to show the difference in this matter between other countries and ours.

Shri Algu Rai Shastri (Azamgarh Distt.—East *cum* Ballia Distt.—West): European politics is adulterated.

Giani G. S. Musafir: Adultrated politics can be counteracted by politics. The adulteration in food and other eatables in our country deserves to be the most punishable offence. Crime of murder is punished with nothing short of death. No other crime is so much punishable as murder is. Food adulteration is none the less a crime than murder. I prefer to kill or murder a man all at once rather than to feed him on unhygienic food and push him on towards the jaws of death. I take it to be more serious a crime than murder, and ardently desire, therefore, that this Bill, which is taking the shape of an Act, be implemented upon so expeditiously that this evil is rooted out from our land.

Punjab Government have experimented on it. They have had a number of summary trials there to obliterate it. Some of them have proved effective. I believe, we should take a speedy action to minimise this type of crime at the earliest. I have seen in Panjab and elsewhere that the Food Inspectors deputed for checking the articles check up in a way which gives all the more encouragement to these people. They are not afraid of anything. They tempt the low-paid Food Inspectors, and therefore, this cannot be the right measure to check this practice.

The other point is which was already told by Shri Tandon. We have a saying in the Panjab that the force giving birth to evil be killed in place of killing the evil as the latter measure would not bring forth good results. The best results come only when the source of evil is obliterated so that no evil is given birth to. What I mean to say is that the source of the evil should be sealed up. Adulteration is a production by itself in our country. There are very big factories of adulteration functioning secretly and their adulterated products reach other parts of our country. A petty tradesman gets the punishment, no doubt, but if an enquiry is held in an intelligent way, you will find that the adultration starts right from the top. The poor tradesman who sells the product gets the punishment. All these sources and these things should be sealed up speedily, regardlessly and vehemently. I would submit without the least hesitation that our method of inspiration is all right. Our Government is not using any method of strictness, force or rigidity, but the method of inspiration. This method is a good one, no doubt, but at times when things go wrong drastic measures are to be adopted; for example, when a dangerous boil develops it becomes necessary for the doctor to operate upon it; he gives an incision and carps it lest the poison should circulate in the whole body. Likewise, this adulteration disease has occupied our country and it becomes so very essential for us now to root it out forcibly. An hon. Member men-

tioned laboratories in this connection, but I would like to say that even that measure cannot check it. Laboratories are of no avail as the milkmen have devised a means with which they mix something with the adulterated milk and the lactoscope fails to indicate the impurity when that milk is tested. It becomes so very necessary, therefore, that a thorough check-up at various places is made on a large scale and the offenders are punished. The evil will be eradicated when such people get vigorous punishment for this crime. We should also arrange to organise raids on the people indulging in the adulteration of milk or other eatables on the same day and the same time and have them arrested so that they do not find any time to escape or play pranks with the Government. This should be the way to counteract it.

One thing more is essential. He who has already been punished three times for adulteration and is caught in the act fourth time should be excommunicated from that profession. He should not be allowed to enter that profession again in a direct or an indirect way. With these words I welcome the Bill and wish that it be made more suitable and efficacious and passed by the House.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी---पश्चिम): जनाब चेयरमैन साहब मैं इस मिलावट के बिल का स्वागत करती हूं । मैं समझती हूं कि इस बिल को बहुत पहले आना चाहिये था मगर फिर भी गनीमत है कि आज वह दिन आया जब यह बिल हमारे सामने आया है । इस बिल को देखने के बाद और यहां व्याख्यान सुनने के बाद मेरी राय और सब की राय भी यही है कि जो जनता की सरकार होती है, उसकी पहली ड्यूटी, पहला फर्ज, पहला धर्म जनता की सरकार का यह होता है कि वह जनता के स्वास्थ्य का विचार करे । आज जब यह सवाल हमारे सामने है तो मैं समझती हूं कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा इस बात का ख्याल करेंगी । जब हम जनता के स्वास्थ्य की तरफ ख्याल करते हैं तो सब में पहली अड़चन जो हमारे सामने आती है वह वनस्पति की आती है । उस वनस्पति का किस्सा इतना हुआ है कि मैं तो उसका जिक्र करते डरती हूं । मैं समझती हूं कि वनस्पति अगर वेजीटेबुल प्राडक्ट के नाम से हो और उसकी तारीफें और खूबियां उसके साथ हों तो हमें एतराज नहीं लेकिन जब वह वनस्पति घी के धोखे में आता है और हमारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या उसकी तह में नहीं जाते हैं वह उसको घी की शक्ल में देख कर धोखे में आ जाते हैं और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उस वनस्पति घी को खा कर हमारे देश के नौजवान कमजोर पड़ रहे हैं । वनस्पति घी का सवाल इस हाउस में पहले आ चुका है और हमारी कांग्रेस कमेटी में भी आया है लेकिन हम को यह देखना है और समझना है कि वनस्पति घी जो है वह दरअसल नेशन (राष्ट्र) के वास्ते स्लो प्वायजनिंग है और हमें अपने देश के नौजवानों के खातिर और मुल्क की तंदरुस्ती के खातिर इसे जल्द से जल्द बंद करना है । हमें देखना यह है कि वनस्पति बंद करने में हमें किन किन अड़चनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । यही होगा न कि यह बड़े बड़े वनस्पति के कारखाने और मिलें बंद हो जायेंगी और हमारे जो कैपीटलिस्ट लोग हैं, जिन्होंने उनको चलाया है, उनको नुकसान होगा, लेकिन मैं समझती हूं कि उन चन्द सरमायेदारों के मुकाबले में नेशन के स्वास्थ्य की रक्षा करना कहीं जरूरी है और मैं समझती हूं कि जो जनता की सरकार होती है उसका धर्म यह नहीं है कि वह उन कारखानेदारों की रक्षा करे । इसलिये मुझे अपनी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहना है कि यह जो वनस्पति घी है इसको अपने देश से हमें बिल्कुल नेस्त नाबूद करना है और मिटा देना है । यह सोचना कि नहीं ये कारखाने हमारे यहां हैं इनको हमें जिन्दा रखना है या ऐसा करने से बिजनेसमेन व्यापारी खत्म हो जायेंगे इसलिये वनस्पति इंडस्ट्री को कायम रखा जाय और भले ही नेशन

[श्रीमती उमा नेहरु]

का स्वास्थ्य खत्म हो जाय । मैं समझती हूं कि यह तंग ख्याली हैं । आज इसका इस्तेमाल करने से हमारे देश के आदमियों की वाइटॅलिटी रोज व रोज कम होती जा रही हैं, जो भी बीमारी भारत में आती हैं वह अपना घर ही बना कर रहती हैं । कारण क्या हैं ? हम में शक्ति बाकी नहीं रही हैं, हमें खाना नहीं मिलता हैं । मैं तो उन लोगों में से हूं जो थाली में अगर खाना कम आता हैं तो भले ही कम आवे लेकिन जो भी हो वह शुद्ध घी का तैयार किया हुआ हो और वह खाना वाइटॅलिटी और विटॅमिन युक्त हो ताकि हमारी नेशन की शक्ति बढ़े लेकिन यह कहना कि हमारी थालियों में बारह कटोरियां हों भले ही सब जहर की हों, यह बिल्कुल गलत बात हैं । सरकार जब इस बात को समझती हैं कि हमें स्वास्थ्य का ख्याल करना हैं तो सख्ती के साथ इस कानून के ऊपर अमल होना चाहिये और इस कानून का अमल कराने के लिये हमें ईमानदार आदमियों को मुकर्रर करना चाहिये । जब इस सिलसिले में इंसपेक्टरों का जिक्र आता हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इनसे हमारा काम चलने वाला नहीं हैं । इनका तो कोई चरित्र ही नहीं होता हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि सब के सब ऐसे नहीं होते हैं, उनमें भी ईमानदार आदमी होते हैं और मैं चाहूंगी कि इस काम पर ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमियों को तैनात किया जाय और सख्ती के साथ इस कानून का पालन किया जाय । मैं चाहूंगी कि अगर आपको इस दिशा में सख्ती करनी हैं तो पहिले बड़े कारखानों पर कीजिये, छोटों को पीछे लीजिये, दो, तीन बड़े बड़े कारखाने बंद कर दीजिये और तब आप देखियेगा कि सारी शकल ही बदल जायगी लेकिन जब तक आप यह नहीं करेंगे, छोटों को सजा दें और बड़ों को बनाये रखें, तब तक देश में उन्नति नहीं हो सकती हैं ।

आखिर में मुझे यह कहना हैं कि अलावा इस कानून के, जिस पर कि गवर्नमेंट को सख्ती से अमल कराना हैं, इस मिलावट की बुराई के खिलाफ हमको अपने समाज में आवश्यक वातावरण पैदा करना हैं ताकि गवर्नमेंट लेबिल पर यह टॅकिल की जाय । सामाजिक स्तर पर भी इसको हटाने की कोशिश की जाय और मुझे पूर्ण आशा हैं कि उस दशा में हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी । इसलिये मैं अपनी मंत्रिणी महोदया को मुबारकबाद देती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह सख्ती से बर्ताव करें और इस की कोशिश करें और बगैर कुछ सोचे हुए जो भी बड़े कारखाने हमारे इस नेक रास्ते में आयें हम उन को मिटा कर छोड़ें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी हैं कि एडल्टरेशन आफ फूड के रोक के मामले में जो वायदा आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा ने किया था आज वह पूरा किया जा रहा हैं । आज इस हमारे प्रेजेन्ट सेशन में यह सब से पहला बिल हैं और अगर कोई मुझ से सच पूछे तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह इस सेशन का सब से अहम बिल हैं । इस से ज्यादा अहमियत का मामला शायद ही हाउस में आयेगा । आज स्पेशल मैरेज बिल का जिक्र हुआ । यहां और भी चीजों का जिक्र हुआ, लेकिन इस की अपनी अहमियत और अपनी खूबी, अगर यह कामयाब हो जाय, तो इतनी हैं कि मैं समझता हूं कि यह नेशन बिल्डिंग की पहली चीज हैं जिस से हम को फायदा पहुंचेगा । लेकिन जहां मेरा यह ख्याल हैं कि यह बिल बहुत जरूरी हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि मैं इस बिल को देख कर उतना ही माएूस हूं । इस बिल के अन्दर वह चीजें नहीं हैं जिन से कि मैं यह कह सकूं कि यह बिल दरअस्ल इतना फायदा पहुंचायेगा जितना कि आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा चाहती हैं कि हम को पहुंचायें । मैं उन के मोटिव्ज को डिस्प्यूट नहीं करता । मैं उन को जानता हूं कि वह खुद इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि यह बिल ही पास न हो, बल्कि एडल्टरेशन इस देश से उठ जाय ।

लेकिन इन्डिविजुअल को इस बिल के अन्दर हक देने में अगर हम कामयाब हो गये तब तो फायदा होगा वरना यह बिल, जैसा कि मेरे चन्द दूसरे दोस्तों ने कहा, हमारी आकांक्षाओं में ही धरा रहेगा और हमारी दिक्कतों को बरकरार रक्खेगा ।

एक चीज है इस बिल में जिस पर मैं असली तौर पर डिफर करता हूं । जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था उस वक्त मैं ने अर्ज किया था कि इस बिल के अन्दर बहुत बड़ी कमी है जिस को हमें दूर कर देना चाहिये । उस कमी का जिक्र मेरे दोस्त श्री लोकनाथ मिश्र ने किया और मैं ने उसके मुताल्लिक एमेन्डमेन्ट भी भेजा है और पहले भी अर्ज किया था । सारे पेनल कोड में सब से जरूरी दफा वह है जो हर एक शख्स को अपने प्रोटेक्शन के वास्ते अख्त्यार देती है । सारे आप के क्रिमिनल ला में, सारी आप की पुलिस और फौज एक तरफ और हर इन्सान को जो आप ने हिफाजत और खुद अख्तयारी का हक दिया है वह एक तरफ है । तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि मैं शायद जो प्राविजन्स पर्सनल हिफाजत के वास्ते हमारे पेनल कोड में हैं उन को ज्यादा वजन दूंगा । आज लोकल गवर्नमेन्ट, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सब की सब अपना काम करती हैं और वह अपनी अपनी जगह हैं । मैं आज उन सब को कंडेम करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं ताहम मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह बिल कामयाब हो, हर एक इन्डिविजुअल को जो अख्त्यार है कि अगर उस के साथ कोई शख्स अत्याचार करे, उस के जिस्म पर या उस की प्रापर्टी पर, तो उस को अख्त्यार है कि वह कोर्ट्स में जा कर अपना रिड्रेस सीक करे, इसलिये अगर आप चाहते हैं कि यह बिल कामयाब हो तो इस में प्राइवेट पर्सन को अख्त्यार दीजिये जिस में कि कोई प्राइवेट पर्सन अपने आप को बचा सके, अपने लिये रिड्रेस सीक कर सके । इस बिल के अन्दर आप ऐसा अख्त्यार दीजिये कि जिस की रू से वह महज गवर्नमेन्ट को नहीं बल्कि एक प्राइवेट आदमी, रौंगडूअर को, प्रोसिक्यूट कर सके जो उस के जिस्म को, उस के खान्दान को, उस की रेस को, उस की नेशनैलिटी को बरबाद करने पर तुला हुआ है । । आप अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मुलाहिजा फरमायेंगे तो देखेंगे कि हर सेक्शन उस के अन्दर ऐसा है जिस से प्राईवेट आदमी को राइट दिया गया है, १९८ दफा से १९९ दफा में जितने जरायम दर्ज हैं उन में दर्ज है कि जिस के अन्दर प्राइवेट आदमी को यह अख्त्यार नहीं है कि वह रिड्रेस हासिल कर सके । लेकिन आम तौर पर वह कायदा है कि हर एक आदमी को अख्त्यार है कि अगर वह किसी आदमी से नुकसान उठाता है तो वह कोर्ट्स से रेमेडी सीक कर सके ।

यहां एक सवाल यह पूछा जायेगा कि वेन्डर को नोटिस दफा १२ बिल के अनुसार दे दिया कि उस के माल को पब्लिक एनालिसिस कर के टेस्ट किया जायेगा । लेकिन इस दफा के रखने का मतलब क्या है क्योंकि यह दफा लगी हुई है कि आप सब को यह हक देते हैं । मैं एक चीज खरीदता हूं और वेन्डर से कहता हूं कि उस के पास एक चीज खराब है, मैं उस की पब्लिक एनालिसिस करना चाहता हूं । अव्वल तो इस को साबित करना नामुमकिन है कि एक आदमी ने क्या नोटिस दिया, वेन्डर कहता है कि नहीं दिया। आप के पास क्या सबूत है । अगर पुलिस कहे कि गवाह चाहिये तब क्या यह किया जाय कि एक विटनेस के रूबरू नोटिस दिया जाय और उस के दस्तखत कराये जायें । दस्तखत कर के अगर वह गवाह बन जाय तो भी मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आई विटनेस बना कर भी कैसे काम चलेगा । उस वक्त इस के सबूत का सवाल पैदा होगा कि आया नोटिस उस के सामने दिया गया था नहीं । यह बात आप की तवज्जह के काबिल है । या आइन्दा जो वेन्डर हैं वह हुज्जत करें कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ क्योंकि वेन्डर के दस्तखत आप ने कराये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं हैं । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मैं चाहता हूं कि दरअस्ल हर एक आदमी को यह हक हो कि वह प्रोसिक्यूट करा सके । यह जो चीज रखी गई हैं वह इस कदर माकूल नहीं हैं कि जिस से हम अपने मकसद को फूल प्रूफ कह सकें ।

मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिल कामयाब हो तो हर एक आदमी को यह हक हो, सिवा उस हक के कि जो लोकल गवर्नमेन्ट को हो, आप हर एक शख्स को हक दीजिये कि अगर वह किसी तरह पब्लिक एनालिस्ट से रिपोर्ट नतीजा एनालिसिस ले सके और वहां से यह जवाब आये कि यह एडल्टरेटेड हैं तो वह कोर्ट आफ ला में जा कर सजा दिला सके । यह कहा जा सकता हैं कि इस के अन्दर बड़ी खराबी होगी । इस के अन्दर बहुत से झूठे मुकदमे चलेंगे । सब से बड़ी खराबी इस के अन्दर यह होगी कि वेन्डर प्राईवेट पर्सन की मर्सी पर हो जायेंगे । लेकिन इस के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने सेफगार्ड्स हैं, हर एक कानून में सेफगार्ड्स रखे जाते हैं ताकि प्राइवेट आदमी अपने हक को abuse न कर सके । और वह इस बिल में भी रखे जा सकते हैं । एक चीज इस में यह होनी चाहिये कि ऐसी सूरत में जब कि हम कोई चीज लेते हैं, जब तक हम यह साबित न करें कि वही चीज पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजी गई, उस वक्त तक कोई शख्स इस मामले में सजा नहीं पायेगा । इस के वास्ते हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जिस शख्स से चीज खरीदी जाय उस से उसी वक्त उस चीज पर दस्तखत करा लिये जायें और उस के बाद जैसे आप फूड इन्स्पेक्टर को अख्त्यारात देते हैं उसी तरह प्राइवेट आदमी को, जो चीज खरीदता हैं, वह अख्त्यारात होंगे । इस तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे जिन की रू से वह चीज प्राइवेट आदमी एनालिस्ट के पास भेज सके और अगर उस का जवाब यह आये,...

Rajkumari Amrit Kaur: May I intervene for one moment? The amendment that I have brought in embraces this point because I have added a further proviso that the same rules as apply to the food inspector shall apply to the purchaser also.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं बड़ा मशकूर हूं आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा का जिन्होंने मेरी तवज्जह अपने एमेन्डमेन्ट की तरफ दिलाई । उस के पेशतर मैं ने खुद एमेन्डमेन्ट भेजा हैं और उस में मैं ने यह लिखा हैं कि इस तरह के रूल्स बनाये जायें । इस तरह से कि खुद फूड इन्स्पेक्टर के पास वह शख्स जाय और वह दरख्वास्त दे फूड इन्स्पेक्टर को, इस से मैं मुतमईन नहीं हूं क्योंकि इस में तो फूड इन्स्पेक्टर को सारा अख्त्यार हैं और मैं जानता हूं कि फूड इन्स्पेक्टर इतने ईमानदार नहीं होते । जो इन्स्पेक्टर बेईमान हैं वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं । उन्होंने किस कदर ज्यादात्तियां की हैं अगर मैं आप को बतलाने लगूं तो तकरीर लम्बी हो जायेगी । मैं चन्द मिसालें आप के सामने पेश कर सकता हूं कि जिन में बीस बीस हजार की प्रापर्टी और पचास पचास हजार की प्रापर्टी का उन्होंने चालान किया और खुद खराब चीजें मिला कर चालान करवाया, लोगों को तंग किया हैं और रिश्वतें ऐंठी हैं । इस वास्ते मैं ज्यादा यकीन फूड इंस्पेक्टर में और उस मशीनरी में जो आज मौजूद हैं नहीं करता हूं । इसलिये यह मशीनरी इम्प्रूव हो, बेहतर बने यह हम सब की ख्वाहिश हैं । अगर अच्छी मशीनरी हो तो आप प्राइवेट आदमियों को उसके साथ न रखें तो मैं ज्यादा परवाह नहीं करूंगा । मेरी शिकायत तो यह हैं कि आपके पास आज जो मशीनरी हैं वह न ईमानदार हैं, न काफी हैं और न एलर्ट हैं । उसी मशीनरी को अगर आप रखेंगे तो मुझे डर हैं कि जो चीज आप करना चाहते हैं वह पूरी नहीं होगी । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो रूल आप बनायें वे फूल प्रूफ हों और मैं चाहता था कि इस बारे में

हमें सिलेक्ट कमेटी कोई हल पेश करती । लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हैं । अगर आप चाहें तो ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि अगर कोई चीज एनालेसिस के लिये जाय तो जिसकी चीज जाय उसको यह शिकायत न रहे कि उसके साथ इन्साफ नहीं हुआ । मैं यह चीज हाउस में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस को इस बात पर इनसिस्ट करना चाहिये कि प्राइवेट पर्सन को इसके लिए जरूर प्रासीक्यूट करने की इजाजत मिले । अगर आप यह इजाजत रखेंगे तो आप इस बिल में एक ऐसा प्रावीजन कर देंगे जो कि और बिलों में नहीं हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी प्राइवेट आदमी को तकलीफ होगी तो वह अपना रिड्रेस हासिल कर सकेगा ।

दूसरी चीज जो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं वह गवर्नमेंट की मेंटेलिटी के बारे में है । जब तक गवर्नमेंट अपनी मेंटेलिटी को दुरुस्त नहीं करती तब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी । मेरे बुजुर्ग टंडन जी ने इस तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई । क्या मैं भी अदब से चन्द एक फिकरे उसमें इजाफा कर सकता हूं । वनस्पति के बारे में मैं ने कितनी बार हाउस में अर्ज किया है । मेरे पास पिछली पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा मेम्बरों के दस्तखत आज भी मौजूद हैं जो चाहते थे कि जहां तक वनस्पति का सवाल है इस वनस्पति को या तो रंग दिया जाय और अगर नहीं रंगा जा सकता है तो इसको बन्द कर दिया जाय । नेशनल कांग्रेस ने भी यही डाइरेक्टिव भेजा था । हाउस को मालूम है कि आज भी मेरे नाम से हाउस में एक बिल मौजूद है जो चन्द रोज हुए हाउस के सामने आया था । मगर चूंकि एक मेम्बर साहब का इन्तकाल हो गया इसलिये हाउस में उस पर गौर नहीं हो सका । मैं आज फिर कहता हूं कि इस वनस्पति को बन्द कीजिये । गवर्नमेंट की हर रिपोर्ट में दर्ज है कि ९० फीसदी घी में इस बनस्पति की मिलावट है । गवर्नमेंट ने अर्सा हुआ एक वनस्पति कमेटी मुकर्रर की थी । बदकिस्मती से मैं भी उसका मेम्बर था । मैं उसका मेम्बर बनना नहीं चाहता था लेकिन मुझ से वायदा किया हमारे आनरेबुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आनरेबुल श्री मुंशी ने, श्री चिरुमल राव ने कि वह इस वनस्पति को रंगवा देंगे । एक कमेटी बनायी गयी । उस कमेटी ने यह फैसला कर दिया कि देश के अन्दर कोई ऐसा रंग नहीं है जिससे कि यह रंगा जा सके हालांकि पहले एक मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि रतन जोत का ऐसा रंग है लेकिन दिक्कत यह है कि रतन जोत काश्मीर से आती है और इतनी मिकदार में नहीं मिलेगी । उनकी खिदमत में अर्ज किया गया कि यू० पी० में रतनजोत मिलती है और कम कीमत पर मिलती है और इतनी तादाद में मिलती है कि वनस्पति को रंगा जा सके । वहां उस वक्त हमारे देश के सब से बड़े साइंटिस्ट श्री एस० एस० भटनागर भी तशरीफ रखते थे । वह भी उस कमेटी के मेम्बर थे । उन्होंने वायदा किया कि मैं डेढ साल में एक ऐसा रंग निकाल दूंगा जैसा गवर्नमेन्ट चाहती है । लेकिन आज डेढ साल से भी ज्यादा हो गया लेकिन वह रंग नहीं निकला । मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान के साइंटिस्टों का दिवाला निकल चुका है और वे इस काबिल नहीं हैं कि ऐसा रंग निकाल सकें । मैं ज्यादा स्ट्रांग लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता । मैं ने अपने डिसेंटिंग नोट में भी यही अल्फाज इस्तेमाल किये हैं । मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फील करता हूं कि जो हमारी कैपिटल इंडस्ट्री है और जो हमारी कार्टेज इंडस्ट्री है उसको यह चीज तबाह कर रही है लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रेंगती । जनाब वाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि अभी हमारे एक बुजुर्ग ने जिक्र किया सतीश चन्द्र दास गुप्त के रंग का । उन्होंने वह रंग इस कमेटी के पास भेजा । उसके वास्ते यह कहा गया कि यह रंग तो काला है देखने में अच्छा नहीं है । इस देश के अन्दर तो बहुत सारे आदमी काले हैं । हमारे बुजुर्ग श्री कृष्ण महाराज को कृष्ण ही कहते हैं । उस रंग में कोई खराबी नहीं थी । लेकिन गवर्नमेंट को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मंजूर नहीं कि इसको रंगा जाय और उसकी मैं बहुत सी वजूहात जानता हूं। इसके अलावा दो और रंग थे। पंजाब गवर्नमेंट ने इस के खिलाफ २५ साल से जिहाद जारी रखा हुआ हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक रंग भेजा और बम्बई की गवर्नमेंट ने एक रंग भेजा लेकिन दोनों के लिए उस कमेटी ने कह दिया कि हमको मंजूर नहीं हैं। यह वह रंग हैं जिसको इंगलैंड की नेशनल काउंसिल ने पास किया था कि उसके खाने से कोई खराब असर नहीं होता हैं। अमरीका ने भी इसको पास किया था कि इसके खाने से कोई खराब असर नहीं होता। वह रंग हिन्दुस्तान में मिठाइयों में डाला जाता हैं। लेकिन वनस्पति कमेटी में हमारे साइंटिस्ट इतने मुलायम दिल बन गए कि कहने लगे कि यह तो कैंसर प्रोड्यूसिंग हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं इसलिये मैं नहीं कह सकता कि उनकी बात कहां तक दुरुस्त हैं। मैं नहीं समझता कि यह ख्याल उनका कैसे हो गया। यह रंग अभी मिलाया नहीं गया और उन्होंने कह दिया कि यह कैंसर प्रोड्यूसिंग हैं। मेरा एक्सपर्टों से बहुत साबिका पड़ा हैं। मैं उनके खिलाफ कोई मोटिव attribute नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं जानता हूं कि महज उनकी राय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कनविक्शन बेस नहीं करती हैं। अगर यह रंग कैंसर प्रोड्यूसिंग हैं तो उनको और रंग ढूंढना चाहिये था। मेरा सजेशन था कि यह जो सतीश चन्द्र दास गुप्त का रंग हैं और स्तनजोत या किसी दूसरे रंग से मिलाकर इन दोनों से वनस्पति को रंग दिया जाय। अगर एक गरम करने से उड़ जायगा तो सतीश चन्द्र दास का रंग तो बाकी रह जायगा। यह चीज मैं ने अपने मिनिट आफ् डिसेंट में रखी हैं। इसकी कापी एक सोसाइटी ने तमाम मेम्बरान पार्लियामेंट के पास भेजी हैं और अगर वह नहीं पहुंची हैं तो मैं भेज दूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमको मालूम हैं कि एक चीज के अन्दर मिलावट हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट में यह चीज मौजूद हैं। गवर्नमेंट का एक एक शख्स जानता हैं, मिनिस्टर जानते हैं और फूड मिनिस्टर जानते हैं। मुझ से वायदा किया गया हैं कि रंगवा देंगे। तो अगर उसे आप रंगवा नहीं सकते तो इसका लाजीकल कांसीक्वेंस यह हैं कि आप इसको बन्द कर दें। मैं ने इस हाउस में छः लाख आदमियों के दस्तखतों की अर्जियां पेश कीं जिनसे आपके कमरे भरे हुए हैं। उन आदमियों की यह ख्वाहिश थी कि वह वनस्पति नहीं चाहते। मैं ने दिल्ली के सौ डाक्टरों से लिखवा कर भेजा कि इससे नुकसान होता हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो और आइल्स हैं और जो हाइड्रोजिनेटेड और रिफाइन्ड आइल हैं इन तीनों में कोई फर्क नहीं हैं। मैं मानने को तैयार हूं। उनमें फर्क नहीं होगा। वह यह भी कहते हैं कि घी के मुकाबले यह चीज खराब हैं। हमारे मिनिस्टर साहिबान अपने घर में खाते हैं प्योर घी। मिस्टर सिन्हा आज यहां इस वक्त मौजूद नहीं हैं। और किसी मिनिस्टर से पूछिये तो मालूम होगा कि वह अपने यहां प्योर घी खाते हैं और मुझ से कहते हैं कि प्योर घी हिसार से मंगा दो। और जब लोगों का सवाल आता हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके खाने से नुकसान नहीं हैं। यह दुरुस्त नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आप हिन्दुस्तान की मिलिटरी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे जिले हिसार और रोहतक के जबरदस्त सिपाही हैं जिन्होंने दुनिया के मैदानों में नाम पैदा किया हैं और फ्लैंडर्स और टर्की में अपने मुल्क के लिये बड़े बड़े कारनामे किये हैं। वह फौजी मेरे पास आ कर कहते हैं कि क्या हमको डालडा खिला कर तपेदिक करना चाहते हैं। जिस वक्त मैं ने अपना बिल पेश किया था उस वक्त सरदार बलदेव सिंह यहां मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हम कास्ट की परवाह नहीं करते। हम अपने सिपाहियों को प्योर घी

खिलाना चाहते हैं ताकि उनकी शक्ति कायम रहे। लेकिन उन्होंने फरमाया कि हम दाम तो देते हैं घी के और मिलता है हमें डालडा क्योंकि यहां इस कदर मिलावट है और वह मिलावट रुक नहीं सकती है। इसके लिये गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम अशक्त हैं। हम उसको नहीं रोक सकते। आज यहां एक एक्सपर्ट की राय आती है कि डालडा अच्छा है। दूसरे की आती है कि अच्छा नहीं है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को मालूम है कि एडल्टरेशन है और गवर्नमेंट उसको बन्द नहीं करती। अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकती तो वह वनस्पति की फैक्टरियों को यह हुक्म दे सकती है कि या तो तुम वनस्पति का बनाना बन्द करो या ६ महीने में ऐसा रंग मिला दो जो पक्का हो और हर तरह से ठीक हो। अगर आप यह जिम्मेदारी मुझ पर और अपने साइंटिस्ट्स पर न डाल कर उन लोगों पर जो वनस्पति बनाते हैं डाल दें तो मैं समझता हूं कि यह सवाल बड़ी आसानी से हल हो सकता है। निश्चय है कि ऐसा रंग निकल आवेगा। नामुमकिन है कि ऐसा रंग न मिले। रंग फौरन मिल जायगा अगर आप यह जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दें। यह मेरा कहना नहीं है, मैं तो अदना सा आदमी हूं। यह अल्फाज मैं श्री विनोबा भावे के कोट कर रहा हूं। श्री विनोबा भावे ने ऐसा फरमाया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो चन्द महीनों के भीतर ही ऐसा रंग मिल जायगा जो गवर्नमेंट चाहती है। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ भी अर्ज नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बहस के वास्ते तैयार हो कर नहीं आया था, इसलिये मैं ने चन्द बातें आपके सामने अर्ज कर दीं। क्या मैं आपको महात्मा गांधी का डिक्टम सुना सकता हूं? "वनस्पति न वनस्पति है और न यह घी है, यह जाल है, यह देश के दुश्मनों की कार्यवाही है"। यह उनके अल्फाज थे। मैं और किसी को क्यों स्वयं अपने उस समय के एग्रीकलचर मिनिस्टर श्री जयरामदास दौलतराम को कोट करूं, डाक्टर पट्टाभी सीतारमैया को कोट करूं, टंडन जी को कोट करूं देश के किस लीडर को कोट करूं या डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को ही कोट करूं जिन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि इस वनस्पति से इस देश के जानवरों की तरक्की रुकती है, एग्रीकलचरिस्ट्स का नुकसान है और यह चार सौ बीस इनकारनेट है। यह मेरे अल्फाज नहीं हैं, यह उन्होंने फरमाया था, इससे ज्यादा और जोरदार अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता.....

Acharya Kripalani (Bhagalpur *cum* Purnea): The President had not consulted the Prime Minister.

Pandit Thakur Das Bhargava: Who?

Mr. Chairman: May I request the hon. Member on this point? We are really going to concentrate on *Vanaspati* in this Bill which is one of the relevant subjects of this Bill but on that, there has been enough discussion. Many hon. Members are willing to speak. If the hon Member wants to speak on other matters he may please do so.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जनाब का शुक्रगुजार हूं कि मेरी तवज्जह इस ओर दिलाई, मेरा इरादा इस पर इतना जोर देने का नहीं था, चूंकि मेम्बर साहबान ने इतना इस पर जोर दिया और चूंकि चन्द बातें सामने नहीं आई थीं इसलिये चन्द वाक्यात मैंने बयान कर देना मुनासिब और जरूरी समझा। मैं अब आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में जो अव्वल दर्जे की चीज है, घी से भी जो उत्तम चीज है वह दूध है मैं जनाब की इजाजत से उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज कर देना चाहता हूं। जो यहां की एग्रीकलचर फार्म लेबोरेटरी का दूध है और जिसको कहते हैं कि यहां से ८४ मील की दूरी से करनाल से मंगाते हैं उसके बारे में क्या कोई अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि वह भैंस का दूध नहीं है। भैंस एग्रीकलचरल लेबोरेटरी पूसा में नहीं है तो यह भैंस का दूध कहां से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आता है, इसके अन्दर क्या चीज है ? भैंस के दूध के साथ गाय का दूध मिलाना गंगा जमुनी उसको बनाना मुनासिब नहीं है। एक आदमी चाहता है कि वह गाय का ही दूध पीये जो कि बहुत लाभदायक होता है लेकिन वह भैंस का दूध पीने को पाता है तो उस आदमी की भैंस का दूध पीने से भैंस जैसी मोटी अक्ल हो जायगी। खाने पीने की कोई चीज आज के दिन हमें शुद्ध नहीं मिल पाती है सबमें मिलावट हो रही है गवर्नमेंट इस ईविल को शायद पूरी तरह से रिएलाइज नहीं करती है। आज हल्दी में, मिर्च में, खाने में, हर एक चीज के अन्दर मिलावट है, कुनैन में चाक मिली रहती है भला बतलाइये चाक कौन से मलेरिया की दवा है ? किसी भी चीज को ले लीजिये उसमें आपको मिलावट मिलेगी और ऐसी हालत के रहते मैं नहीं समझता कि कैसे लोग तंदरूस्त बनेंगे और कैसे लोग देश के अन्दर ईमानदार बनेंगे। आज मारल डेलीक्वेंन्सी एंडइनफिनिटम है। यह बीमारी हमारे वाइटल्स को घुन की तरह खा रही है और हमारा इस तरह इस पर तवज्जह देना आईवाश है और इससे कोई चीज निकलने वाली नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें और इस बिल को भी वही वुकअत दें जो आप और किसी महत्वपूर्ण बिल को देते हैं......

Shri A. M. Thomas (Ernakulam): Adulteration is bound to be there but *Vanaspati* is not injurious. By banning it, is there not the possibility of *ghee* being adulterated with other injurious articles?

1 P.M.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता था कि मैं वनस्पति का जिक्र छोड़ दूं लेकिन मेरे लायक दोस्त ने फिर वनस्पति का झगड़ा छेड़ दिया और मैं इस वास्ते आपकी इजाजत से उनकी बात का जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त का कहना यह है कि जब आप मानते हैं कि एडल्ट्रेशन होगा, तो यह वनस्पति जो उनके ख्याल में कोई ज्यादा तकलीफदेह चीज नहीं है इसका एडल्ट्रेशन बजाय किसी दूसरी और नुकसानदेह चीज के एडल्ट्रेशन के बेहतर है इसलिए एडल्ट्रेशन होने दें। इसके मानी यह हुए जैसा कि मैं ने कहा था और टंडन जी ने भी उस पर जोर दिया था कि उनकी नीयत साफ नहीं है क्योंकि एक तरफ तो आप एडल्ट्रेशन को रोकने के वास्ते कानून लाते हैं और फिर आपका यह कहना कि इस चीज का एडल्ट्रेशन चले, यह मेरी समझ में मुनासिब नहीं है और मुझे आप बतलाइये कि कैसे आप उस असली चीज पर पहुंचेंगे जिस पर आप इस बिल के द्वारा पहुंचना चाहते हैं ? शायद मेरे दोस्त को नहीं मालूम है कि इस घी के अन्दर इसी चीज का एडल्ट्रेशन नहीं होता है इस वनस्पति के अन्दर मोटर आयल, व्हाइट आयल वगैरह कितनी चीजें मिलायी जाती हैं, वह अच्छी चीजें नहीं हैं। मुझे कोई भी ऐसी चीज बतलाइये जिसके अन्दर मिलावट कोई कैमिकल प्रापर्टी पैदा न करती हो। गुरूमुख सिंह ने संखिया की मिसाल दी कि संखिया के खाने के बाद भी आदमी नहीं मरा क्योंकि संखिया भी एडल्ट्रेटेड है। आखिर मिलावट में इतना गुण तो है ही कि जहर के जहर को कम कर देता है। लेकिन किसी चीज के मिलाने से एडल्ट्रेशन को हम कंडोन करें यह कुछ ठीक नहीं जान पड़ता है। आज देश में ६० फीसदी मिलावट होती है। आज वनस्पति की कीमत मूंगफली के तेल से करीब करीब दुगनी होती है, वनस्पति में मूंगफली के तेल और हाइड्रोजिनेशन से कुछ लाभ नहीं होता लेकिन वनस्पति की कीमत मूंगफली के तेल के मुकाबले डबल थी और आज भी शायद डेढ़ गुनी है। आप क्यों ऐसी चीज बना कर गरीब लोगों को इसके खाने के लिये मजबूर करते हैं कि वह इतनी गुणकारी न हो और असली तेल का इस्तेमाल न कर के आपके वनस्पति का

इस्तेमाल करें और उसकी दुगनी कीमत वह गरीब दें ? इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह वनस्पति के फेवर में एकोनामी का जो आर्गुमेंट दिया जाता है उसके लिहाज से भी वनस्पति का यूज किसी तरह से जस्टीफाईएबुल नहीं है बारह करोड़ रुपया इस देश का इस वनस्पति इंडस्ट्री के ऊपर जाया होता है और जिससे एक आयोटा और एक ग्राम भी देश की फेटकंटेंट तरक्की नहीं होती है, इसको बरकरार रखना कहां तक जायज है ?

मैं चन्द एक बातें अर्ज करना चाहता हूं मैं ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिये हुए हैं लेकिन मैं इस समय उन पर बोलना नहीं चाहता लेकिन जनरली मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके अन्दर दो, तीन बातें निहायत जरूरी हैं । पहली चीज तो यह है कि फूड इंस्पेक्टर किस प्रकार के हों, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हों किस तरह से उनको बांधा जाय कि वह जो उनको कानून द्वारा आर्बिटरेरी पावर्स मिल रही हैं लाखों रुपये की जायदाद को डिस्ट्राय करने का हमने इस कानून में प्राविजन रखा है, इसलिये यह ऐहतियात रखना बड़ा जरूरी है । यह पावर कि मजिस्ट्रेट उतने गवाह लेकर जितने वह जरूरी समझे उसको डिस्ट्राय कर दें, मेरे ख्याल में यह बहुत आर्बिटरेरी है । कलकत्ते के अन्दर उसका तजुर्बा हुआ । कलकत्ते के अन्दर कितने ही मजिस्ट्रेटों ने लाखों रुपये के तेल को यह कह कर कि इसमें मिलावट है कंडेम किया और उनको हुक्म दिया कि उसको जाया कर दिया जाय, हांलाकि वह तेल दूसरे इस्तेमाल में आ सकते थे । मेरा कहना यह है कि जिस आदमी के बरखिलाफ आप इस तरह की पावर्स किसी मजिस्ट्रेट को दें तो यह जरूरी है कि उस आदमी को भी इस का पूरा अख्तियार दिया जाय कि वह साबित कर सके कि इसके अन्दर कोई खराबी नहीं है । मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं और तफसील में जाऊं । मैं तो यह भी जानता हूं कि आपकी यह जो लेबोरेटरीज हैं और जहां कि टेस्ट किया जाता है कि फलां चीज में मिलावट है या नहीं और जिसकी रिपोर्ट कानूनी हैसियत से कनक्लूसिव मानी जाती है, वहां मैं जानता हूं कि किस तरह से उन लेबोरेटरीज में सब्स्टीट्यूशन होता है जो चीज टेस्ट करने को भेजी जाती है उसकी जगह पर दूसरी चीज रख दी जाती है आखिर उन लेबोरेटरीज में भी तो हम ही लोग मौजूद हैं, वहां भी इस तरह से गड़बड़ होती है । आप इस तरह का प्रीजम्पशन बना दें, ह्यूमन अफेयर्स में फाइनेलिटी नहीं होती, इतना प्रीजम्पशन तो बना दें लेकिन इतना गलत प्रीजम्पशन न बनायें कि हर एक आदमी इतना बंध जाये कि वह यह भी साबित न कर सके कि यह नतीजा दुरूस्त नहीं है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस अफसरों के खिलाफ सेफगार्ड्स दिये हुए हैं उस तरह के सेफगार्ड यहां भी प्रोवाइड किये जांय और उन सेफगार्ड्स पर फूड इंस्पेक्टरों को पाबन्द होना पड़ेगा । मुझे खुशी है कि आनरेबुल मिनिस्टर साहिबा ने इस चीज को अपने अमेंडमेंट में शामिल किया है । लेकिन इस के अन्दर भी मुझे थोड़ा सा एतराज है कि इन्सपेक्शन के मुताल्लिक कोई प्राविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है । आनरेबुल मिनिस्टर साहबा का जो एमेन्डमेन्ट है वह इन्सपेक्शन को रिफर करता है, वह सीजर को रिफर नहीं करता है । यह डिटेल का सवाल है । मैं खुश हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहबा ने इस उसूल को मान लिया है कि जहां तक इन इन्स्पेक्टरों को ताकत देने का सवाल है वहां वह भी उन सेफगार्ड्स से बाउन्ड रहेंगे जोकि सेफगार्ड्स आम तौर पर हम पुलिस अफसरों के बरखिलाफ रखते हैं ।

मैं इस से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । अब सिर्फ दस मिनट ही रह गये हैं और शायद कोई दूसरे मेम्बर बोलना चाहें ।

Shri Sadhan Gupta (Calcutta-South-East): Mr. Chairman, we have been told that in our country the practice of adulteration had prevailed from the days of Manu. I do not want to carry on research in history or at least I do not want to go so far as that. From my experience as well as from the experience of others I take it to be so. Talking of the recent past about 20 or 25 years ago in certain things we could be perfectly certain—for instance, except in certain big cities what we were taking as tea did come out of the leaves and similarly milk did come out of the cow or *ghee* did originate in cow or a buffalo. But it is not so now. Even in the remotest areas of the country the practice of adulteration has penetrated somewhere to a great extent, somewhere perhaps to a lesser extent but we cannot be sure anywhere that the food we are getting is what it purports to be. On the other hand, we can almost be sure that although we are getting something as food it is not what it seems to be. Now, Sir, this is the problem we face. It is a tremendous problem. Food is being adulterated all over the country. And in bigger cities the problem has assumed a magnitude which is beyond our comprehension. Today I know that in Calcutta finely chipped hide is doing duty for tea. I also know a lady, who carries on a trade in milk, sometimes a brisk trade, but she has not got either a cow or a buffalo, nor does she purchase milk from outside. Yet she goes on trading in milk and supplies as much quantity of milk as you might desire as you would desire her to supply. I know another case of a solicitor friend of mine, who had received a letter sent to his client wherein the complaint of the other side was that the client of my friend was handed over 200 maunds of tamarind seeds—100 maunds to be converted into *dal* and 50 maunds to be converted into flour and he had got them adulterated. Now that is the kind of adulteration most brazenly carried on in our cities and even in some of our rural areas—perhaps in most of our rural areas. That is the problem of adulteration all over, and to add to it there is the adulteration of foodstuffs by introducing into them articles, which are not only injurious to health but which are sometimes almost poisonous. Really, the problem today is assuming such proportions that it is a problem not of adulteration, but of purity of the adulterants themselves. What we take in as food today is not adulterated food, out food consisting entirely of adulterated stuff. For example, what purports to be *ghee* is not necessarily *ghee* or is not necessarily even 15 parts *ghee* and 85 parts adulteration. It may be, and it often is, cent per cent adulteration without any *ghee* in it. I had my own experience of such a *ghee* and I think I can speak on it with personal experience. This is the problem. Therefore, I have no hesitation in emphatically dissociating myself from the theory that Shri M. S. Gurupadaswamy has propounded that the problem of adulteration is really the cheapness of the adulterated food. We take adulterated food today not because it is cheap. Most people who are taking adulterated food today do not take it with the knowledge that they are buying cheap adulterated food. They take it with the belief that the food that they are taking is genuine and that confidence is being abused. They are being literally cheated into buying adulterated food.

When the problem is of this magnitude, a Bill of this kind is expected to be of very great importance. Pandit Thakur Das Bhargava has stated that this is the most important Bill before Parliament. I would be inclined to agree with him if I had any confidence that this Bill would succeed in its objective. But, I have no such confidence. We know that adulteration of food is being carried on today by many big interests. We have seen the resistence to outlawing or even to the mixing of some colour with *vanaspati*. The reason for this resistence is not that there is any belief that

[Shri Sadhan Gupta]

vanaspati is a very healthy thing, but really that many big vested interests who have very pleasant ties with many people inside the Government or many high-ups inside the governing party, are the very people who are interested in *vanaspati*. If you colour their *vanaspati* their trade will go because it can no longer be used as an adulterant. This is the great danger which besets this Bill: the danger that the opposition of big vested interests may totally render these provisions nugatory.

We know, at the time of the last elections, in certain provinces, there was a deal with sugar merchants. They were to contribute a very big sum to the election fund of a certain party.

Mr. Chairman: The hon. Member may continue tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till a Quarter Past Eight of the Clock on Tuesday the 24th August, 1954.